

12.03 hrs.

MOTION RE: REPORT OF COMMITTEE ON CONDUCT OF CERTAIN MEMBERS DURING PRESIDENT'S ADDRESS

Mr. Speaker: Before we take up the motion, I would like to state one thing.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ

अध्यक्ष महोदय : अभी तो कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रामसेवक यादव : आपने श्री कृष्णमूर्ति राव को बुलाया, उसी सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूँ . . .

अध्यक्ष महोदय : उन के बाद मैं आप को अवसर दूंगा कि आप उसको उठा सक। पहले तो मैं यह पूछ रहा हूँ कि माननीय सदस्य श्री रामसेवक यादव, श्री बागड़ी, श्री मू० ना० मंडल, श्री उटिया और श्री रामेश्वरानन्द यहां इस समय सदन में उपस्थित हैं ?

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : मैं उपस्थित हूँ और मैं बोलना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं बोलना है।

श्री रामेश्वरानन्द : जब भी आप समय देंगे तब मैं बोलूंगा। मैं यहीं बैठूंगा।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आप ने कुछ निर्देश इस सम्बन्ध में दिये हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता था और उस सिलसिले में व्यवस्था चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : जी कहिए।

श्री रामसेवक यादव : मेरा निवेदन यह है कि श्री कृष्णमूर्ति राव की इस समिति के प्रतिवेदन में कुछ सुझाव दिये गये हैं। उन को सुनने के बाद सदन निर्णय लेगा, हमें दोषी

ठहरायेगा और सजा देने का निश्चय करेगा। तब उस के बाद मैं हम कसूरवार ठहराये जायेंगे। लेकिन इसमें जो आपने श्रामन, व्यवस्था दी है कि मैं अपना बयान देने के बाद लोबी में चला जाऊंगा, यह चारों सभों सदस्य चले जायेंगे तो सदन में जो कार्यवाही होगी, चर्चा होगी, उसको सुने बगैर कैसे हम अपना बचाव करेंगे, कैसे उत्तर देंगे। इसका अर्थ तो यह होगा कि सजा का एक भाग, बिना सजा निश्चय किये हुए मुझे भोगना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो आप इतजार करें। जब वक्त आता है और मैं आप को अगर कहूंगा, इसकी जरूरत महसूस करूंगा तो उस वक्त आप यह हाजम के सामने कहें, तो हाजम की जो मरजी होगी उस के मुताबिक किया जायगा।

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): Mr. Speaker, I crave your indulgence because I wish to refer to this direction which we have all got. We have the greatest respect for the direction which you give but you know, at the same time, these directions are supposed to grow into conventions and then, possibly, they might be incorporated into the Rules of Procedure and, therefore, perhaps we might give some attention to this matter. My feeling is that perhaps you thought that we should pursue the precedents which they have followed in the House of Commons in comparable cases, but my submission is that on many occasions we do not rigidly follow the conventions which are there. Besides, on this occasion, what has happened is that not one individual member but a group, more or less, are involved, and they are supposed to have taken the stand on the plank of fundamental rights of members of this House, rightly or wrongly. That is why my feeling is that it is better that they are permitted here and now before the Deputy Speaker makes his motion, to stay in the House and informed of their right

to stay in the House if they choose to listen to whatever observations are made by their colleagues in this House. After all, they are Members of this House.

Mr. Speaker: That is what exactly he said. I asked him that he should wait till that stage comes. When I ask him just to move to the Lobby, he can represent that he may be allowed to stay here. I will have the sense of the House and if they allow him to stay here, I will have no objection.

Shri H. N. Mukerjee: It is better that it was decided even earlier. After all, they would not have to go through, what I would call, the ignominy of having to ask even at that stage.

Mr. Speaker: That would be for the House to decide. I will put it to the House. If the House decided that they should not be asked, I will have no objection.

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, यह तो फंडोमेंटल राइट्स का प्रश्न है। इस में सेंस को क्या बान है ?

Shri H. N. Mukerjee: My submission is that, you in your wisdom and with your undoubted rights in the matter, have issued certain directives. It is to you alone that we can make our submission. The House might decide if you ask the House to decide this sort of thing.

Mr. Speaker: Yes.

Shri H. N. Mukerjee: My feeling is that we as Members of this House have got certain directions from you, directions which affect the rights of the Members of this House, all of us together. It is my feeling that this should be done here and now. For instance, if God forbid, there is a Motion expressing lack of confidence in the Chair, surely you will not be

in the Chair when the matter is discussed; but, you would be in the House. You would have the right to be in the House. You have the right. You may not choose to exercise it. I feel that when the conduct of certain Members on account of what they considered to be a principle of procedure, which they adopted, very wrongly in my view, when the conduct of Members or a group of Members of this House is involved, it is better that in the beginning they are told that they have the right to stay and any direction so far as that is concerned can be changed.

There is another point that I wanted to submit. In the last but one line, there is a statement:

"If the House takes a decision to reprimand the members concerned, they will be asked to stand in their seats when the Speaker will deliver the reprimand."

English is not our language. I once said in the House that I know English well enough to know that I do not know it well enough. If we were asked to stand in our places, I can understand, I can stand where I am. If I am asked to stand in our seat, not knowing what to do, I might try to get on to the high elevation. It is better an Indian language should be our medium. I do not quite know what is meant.

Mr. Speaker: So far as the second point is concerned, perhaps, I admit that there might be a mistake in English. We do not claim, particularly myself that I know as much English as Mr. Mukerjee knows. Therefore, if there is a mistake, probably, that would not cause any misapprehension. Everybody would certainly understand what it means at least. It would be clear to every one. We do not suppose that he would stand in his seat. In his place: that would be all right. If he has corrected our English, we are thankful to him.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): This is all right. This does not bear the meaning which Shri H. N. Mukerjee has given.

Mr. Speaker: So far as the other point is concerned, I have laid down a certain procedure. I had just said that when we proceed with it—for the present they are here—if that opportunity comes, now that it has been raised, before asking them, I will have the sense of the House and it will be decided according to the wishes of the House. If they think that they should remain inside, I will have no objection about that. Therefore, there ought not to be any difficulty so far as that is concerned.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): I wish to submit that, after all, you will decide this point by taking the sense of the House. Why not decide it now? All that is wanted is that they should be present to see what is the nature of the discussion and how the Members react. That is all.

Mr. Speaker: For the present they are here. They will hear everything. I do not know whether that opportunity comes or not. If that comes, I said I will take the sense of the House whether they would want them to be here.

Shri Tyagi (Dehra Dun): Humbly I wish to submit that under the procedure which has been defined in the Paper yesterday, they will be made to stand, to be on their legs at least, wherever they are. May I know under what bye-law or under what conventions the Members will be made to stand? Only one Member can be in possession of the floor of the House. Are those Members to stand as accused? This is a matter which affects the rights of individual Members, and where there is no question of party alignment. So, we have to see that the privileges of the Members in the House are safeguarded.

I would, therefore, most humbly submit this. Before you take the sense of the House on this matter, could you kindly give us an indication as to from where this procedure has been followed? Or is it a new or novel procedure? If it is new or novel procedure, then we must be enlightened about it.

Mr. Speaker: So far, in all democracies, it is a well settled procedure that if the House has to express any displeasure against a Member or award some punishment, then the Member has to stand in his place—I shall now correct myself; he will stand there, and the Speaker would announce the displeasure of the House to him in a solemn manner that adds to the dignity and solemnity of the occasion. That is all that it means. And the Members concerned have to receive that by standing in their places.

I am rather surprised to listen to this argument that only one Member can be in possession of the House at a time. They are not in possession of the House at that moment. We are acting as a High Court of Parliament at that moment, and a judgment is being delivered against the persons who have been charged with some guilt or offence. Therefore it is that they have to stand in their places. There ought not to be such a surprise at that procedure. I should think that that is the correct procedure, and we ought to follow it and maintain that dignity and decorum of the House. That would be the best procedure.

Shri Tyagi: I was desirous of knowing whether that is the procedure elsewhere too or that is the procedure here only.

Mr. Speaker: Yes, that is followed everywhere.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri (Berhampur): We are now confronted with an extraordinary situation in the history of our Parliament. I have

been in this Parliament; and Parliament has never been called upon to take....

Mr. Speaker: The hon. Member can make that speech after the motion is moved.

Shri Tridib Kumar Chaudhuri: No. About the procedure, I feel that here it seems that we are pre-judging the issue if we act upon this procedure, that is, pre-judging the whole issue that is before the House, because this is only a recommendation. So, those Members should not be compelled to withdraw, and their rights of Membership should not be suspended:

Mr. Speaker: Again, it is the same thing. If the Members are insistent I have no objection. Let them decide first, in the beginning itself, whether they want those Members to remain here. I have no objection about that.

Now, is it the pleasure of the House or is it the desire of the House that those Members should remain inside the House while the discussions are carried on?

Several Hon. Members: Yes.

Some Hon. Members: No.

Mr. Speaker: I think that it ought not to be done by a division of votes or by this controversy. Let us take a decision. I thought, because it was the procedure in other democracies, that when we have heard them, we could follow that procedure. We shall give them opportunity to say as much as they like and whatever they choose to, and they will explain.

Then again, it has been said by Shri Tridib Kumar Chaudhuri that we are pre-judging the issue and there is only a recommendation by a Committee of the Parliament. That is there, and, therefore, they stand charged with that. And the House has to discuss whether that recommendation is to be accepted. They have been heard in the committee also, and here also

they will be heard, and whatever explanations they want to give they can give.

Shri S. S. More (Poona): I want to take an analogy. You, Sir, were pleased to refer to this part of the function of this House as the function of the High Court. When a man is being proceeded against in the High Court, if he be the accused, he is given the opportunity to remain present in the court till the court reaches its judgment. Here, the House will be reaching its decision after discussion, but, unfortunately, according to your directions, the accused will be driven out of the court, and the trial will be proceeded with behind his back.

Mr. Speaker: Probably there is a mistake in that. The evidence that is heard must be before the accused themselves. But if some deliberation is to take place and the Judge has to think for himself what decision he has to pronounce, that he has to do himself. Here the whole House is the Judge, is the Court. If the judgment is to be pronounced, certainly that would be in their presence and not in their absence. I think we should now proceed.

Shri Maurya (Aligarh): On a point of information. If something has happened outside this House, will this House have the capacity or capability or privilege to go into it?

Mr. Speaker: That is also an issue that has to be decided here.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh (Parbhani): My submission is that if we take a decision that the hon. Members concerned should remain out of the House when the deliberations regarding their conduct are going on, in effect it would mean that this House has prejudged their conduct.

Some Hon. Members: No, no.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Let me continue. It will, in effect, mean

[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh]

that their membership is suspended for the time they are asked to stay outside.

Shri Surendranath Dwivedy: I take it that you have decided that they should remain in the House when the discussion takes place. That is the sense of the House. It is not necessary to go into this question any further.

Mr. Speaker: Is this the pleasure of the House, that the Members may remain here while we deliberate?

Several Hon. Members: Yes, yes.

Mr. Speaker: All right.

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): May I make a submission?

Shri Joachim Alva (Kanara): I would make only one submission. If you allow them to remain in the House, I would like you to take an undertaking from them that they do not interrupt its proceedings.

Mr. Speaker: That is a different thing altogether.

Shri Krishnamoorthy Rao (Shimoga): Mr. Speaker, I beg to move:

"That this House agrees with the recommendations contained in paragraphs 26 and 27 of the Report of the Committee on the conduct of certain Members during the President's Address, presented to the House on the 12th March 1963."

Sir, an unprecedented event in the annals of the history of this Parliament occurred when certain Members of this House created a disturbance by their disorderly conduct when the President was addressing the Joint sitting of the two Houses on the 18th February 1963. Later, when this House met, it was the unanimous decision of this House that you should appoint a Committee to go into the

conduct of these Members and make recommendations. Accordingly, you were pleased to appoint a Committee with me as Chairman. The reference to the Committee was:

"to investigate the conduct of Sarvashri Ram Sewak Yadav, Mani Ram Bagri, B. Singh Utiya and B. N. Mandal and Swami Rameshwaranand in connection with the disorder created by them at the time of the President's Address to both Houses of Parliament assembled together under article 87 of the Constitution on the 18th February 1963 and to consider and report whether such conduct of the said Members was contrary to the usage or derogatory to the dignity of the occasion or inconsistent with the standards which Parliament is entitled to expect from its members and to make such recommendations as the Committee may deem fit".

The Committee wanted to know what had transpired, if any correspondence had transpired with the President and the Prime Minister, because in the *Indian Express* of that morning an item had appeared to the effect that Shri Yadav had written to the President and the same incident as happened in the UP legislature would be repeated here. So we wrote to the Secretariats of both the President and the Prime Minister and we got copies of the correspondence.

The Committee also wanted to give an opportunity to these Members to explain their conduct before them. Both the Prime Minister and the President had made it quite clear in their correspondence that the Address of the President would be read in English first and then the Vice-President would read the Hindi version of the Address. These hon. Members knew beforehand that it was going to be read in English first. Not only that, they made certain allegations both against the President and the

Members of the Committee which I will refer to later. We also wanted to see the precedents in other Parliaments of the world. We have copied our procedure from the Parliament in the United Kingdom. As in UK, here the President's Address is a very solemn and dignified occasion. According to article 87 of the Constitution, it is an obligatory duty cast upon the President to address the joint sitting of both Houses of the legislature and to issue summons to Members to attend this function. It is as much an obligatory duty on the part of the Members to hear him with due respect, dignity and decorum. In fact a convention has been set up in this Parliament that this occasion when the President addresses the Houses of Parliament has always been considered as a very solemn occasion. The President, when he arrives at the Parliament House is received by the Presiding Officers and is conducted to the Central Hall in a procession. His presence is announced by fanfare. National Anthem is sung both while he takes his seat and when he leaves the Hall. No such incident has ever occurred during the past fifteen years. It has been the convention that he is listened to with respect and due dignity.

By their conduct these Members have defied that convention. Not only that, Sir. The President is also a part of Parliament. In fact article 79 reads that Parliament in India consists of the President and the two Houses of Parliament. Any indignity and disrespect offered to the President is a disrespect to the Parliament. Not only that. He is a symbol of our Constitution. He is not only head of the State and head of Parliament; he is the symbol of our Constitution. As such, hon. Members are expected to behave, while he is addressing the two Houses of Parliament, in a manner befitting the conduct of Members of Parliament.

When we summoned these gentlemen before the Committee, Swami

Rameshwaranand told the Committee that he had no intention of showing any disrespect to the President. If he had known that his conduct would be considered as disrespectful and undignified, he would not have behaved that way. All that he wanted to say was that the President should read his Address in Hindi and as soon as the President told him that the Hindi version would be read by the Vice-President, he sat down; he did not join the walk out and he expressed his regret.

Shri Utiya, another Member of the Socialist Party, when asked by the Committee, informed it that he did not know what had transpired between Shri Ram Sevak Yadhav and the President and the Prime Minister; if he had known that his conduct would be considered as disrespectful to the President, he would not have joined the walk out; he did not know English; he knew only Hindi; he did not know that they would walk out; if he had known it he would not have walked out.

On a later date we called Shri Ram Sewak Yadav, Shri Mani Ram Bagri and Shri B. N. Mandal before the Committee. In their statements, they have admitted the facts but they have aggravated the situation by making allegations against the President. In fact, Shri Mandal says it is the President who has violated the Constitution and he even suggests that the House should take action against him. Shri Bagri and Shri Yadav say that it is their right to walk out and in their statements they admit the correspondence that had passed between them and the President and the Prime Minister and they say that this Committee has no right to take any action against them and it has been loaded with Members who have predetermined views, and they make allegations against the Committee. In this way, they have aggravated the situation by their statements before the Committee.

[Shri Krishnamoorthy Rao]

Further, article 343 (2) says that Hindi shall be the national language and allows that for 15 years from the date of the proclamation of the Constitution English shall continue to be used for all official purposes. The President was perfectly within his constitutional right to address the joint sitting of the two Houses in English. So, the Committee considered all these circumstances and came to the conclusion that this act on the part of the Members was deliberate and premeditated. They had known that the President would be speaking in English. They had no regrets to offer and they had no defence to offer. On the other hand, by their conduct, as I submitted earlier, they have aggravated the situation. They have challenged the authority of the Committee. They have alleged that the Committee Members had a pre-determined view, and they justified their actions, that their walk-out was a constitutional right; and they have unnecessarily dragged the President's office into this unseemly controversy. The Committee took a very serious view of the situation and of the conduct of these Members. Since both Shri Rameshwaranand and Shri Utiya assured the Committee that they had no intention of showing any disrespect to the President, the Committee have accepted their version and they recommend that a disapproval of their conduct is sufficient. But as regards the other three Members—Shri Ram Sewak Yadav, Shri Mani Ram Bagri and Shri B. N. Mandal,—they have taken a very serious view of this incident. Of course, the Committee could have recommended a stronger action, but since it is an incident which has happened for the first time in the history of Parliament, the Committee have taken a lenient view and recommended that they should be reprimanded.

Before closing, I would also refer to paragraph 28 of the report. It is only a suggestion for future events. But, after reconsidering the whole

matter, I feel that there is no need to move that this House agrees with the recommendations in paragraph 28, because I feel that it would be restricting the powers of this House. This House has got sovereign authority. It has got the power of admonition; the power of reprimand; the power of suspension; the power of imprisonment; and the power of expulsion of its Members for any disorderly and unbecoming behaviour. I feel that no committee has got any powers to restrict the powers of this House. I feel that our recommendation in para 28 would be restricting the powers of the House. Each occasion has to be judged on its merits. I would, therefore, request this House, through you, to agree to the recommendations of the Committee in paras 26 and 27, in para 26 to reprimand Shri Ram Sewak Yadav, Shri Mani Ram Bagri and Shri B. N. Mandal and in para 27 to record disapproval of the conduct, so far as Swami Rameshwaranand and Shri B. Singh Utiya are concerned, and no further action is necessary, so far as these two Members are concerned.

Sir, I move.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी प्रार्थना तो सुन ले ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मेम्बर साहबान से यह बिनय करूंगा कि यह मौका एक गैरमामूली मौका है। इस में हमें ज्यादा संजोदगी और गम्भीरता से काम लेना होगा ।

We ought to be more serious and serene at this moment.

जो कुछ हम चाहें वह इस तरह से करें कि मालूम हो कि हम इस माहोल को, इस

जिम्मेदारी को, इन हालात को देख रहे हैं, और हमारे दिमाग पर उस का बोझ है। इस लिये जो साहब भी बोलें वह इस बात का खयाल रखें और बिना वजह खड़े हो कर दखल देने की कोई जरूरत नहीं। अभी स्वामी जी खड़े हुए, मैं उन को भी मौका दूंगा। उन को अवसर मिलेगा और वह जो चाहें कह सकते हैं। इस बारे में वे जल्दी न करें। अगर इस बात का ध्यान हर एक माननीय सदस्य रखें कि इस वक्त जो कार्रवाई होगी वह बहुत संजीदगी से हो, और उसमें कोई ऐसी चाज नजर न आये जिस से हम समझ कि इस को लाइटली लिया जा रहा है या किसी और तरह लिया जा रहा है।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं तो यह प्रार्थना कर रहा था कि मेरे सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वह हिन्दी में भी सुना दिया जाता जिसमें मैं उसको मुन भी लेता और उस पर बोल भी लेता। मुझमें बामारी तो यह है, मैंने किसी के घर में चोरी थांडे हां कां है या और कुछ थांडे ही किया है।

अध्यक्ष महोदय : सब माननीय सदस्यों के पास रिपोर्ट पढ़ुंची है और हिन्दी का तर्जुमा कर के उसको सबको तकसाम कर दिया गया है। उसके अलावा और कुछ नहीं कहा गया। अगर इस के बावजूद भी स्वामी जी कहते हैं कि उनको हिन्दी में सुना दिया जाय तो मैं कहूंगा कि उन्होंने रिपोर्ट को तो जरूर पढ़ा होगा। वह तो उन के पान पढ़ुंची है। उसके बाद भी वह चाहते हैं कि उसको दुबारा यहां पर सुनाया जाय। हर एक को उसका पता है, हमने उसका हिन्दी में अनुवाद कर के सबको तकसाम किया है। उस के अलावा उसमें कोई और चीज नही कही गई। सारी बातें रिपोर्ट में दर्ज हैं।

Motion moved:

"That this House agrees with the recommendations contained in paragraphs 26 and 27 of the Report of the Committee on the

conduct of certain Members during the President's Address, presented to the House on the 12th March, 1963."

अगर इसका तर्जुमा स्वामी जी चाहते हैं तो यह है कि जो एक खास समिति बनाई गई थी कि जिन मेम्बरों ने प्रेजिडेंट के एड्रेस के वक्त वाक आउट किया या कुछ हकावट डाली या बोले, उस वक्त, उसको जांच पड़ताल करे, उसने जो रिपोर्ट की है और १२ मार्च को हाउस में रखी है और उसमें जो सिफारिश है उसके लिये कहा गया है कि हाउस इतफाक करे और उसको मंजूर करे।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस मोशन पर संशोधन दिये थे, उसके सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय : दोनों संशोधन आप के निगेटिव वोट के थे कि इसको रिजेक्ट किया जाता है। वह निगेटिव वोट से हो सकता है, वह कोई अलाहदा चीज नहीं है।

यहां पर श्री रामसेवक यादव मौजूद हैं। अगर वे इस पर कुछ कहना चाहें तो उनको अवसर है कि वे कहें।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, जो सन्देश आप के द्वारा दिया गया उसे मैंने पढ़ा और उसी के अनुसार मैंने अपना एक लिखित बयान तैयार किया है। मैं आशा करूंगा कि आप मुझे इस बात की इजाजत देंगे कि मैं उसे पढ़ूं। साथ ही साथ मैं आप से और सारे सदन से निवेदन करूंगा कि यदि मेरे कहने में किसीको कुछ ठेस लगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रकरण आ गये हैं जिनमें राष्ट्रपति जी का नाम आता है और आपका भी आता है, वैसे मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं उनका इस्तेमाल करूं, फिर भी मैं ऐसा विद्वान करता हूँ कि आप उसके लिये मुझे क्षमादान करेंगे।

[श्री रामसेवक पादव]

अध्यक्ष महोदय, दिनांक १८-२-६२ को दोनों सदनों के एक साथ, राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण के समय मेरे तथा मेरे दल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति से इस आशय के निवेदन पर कि वह अभिभाषण प्रथम तो संविधान के अनुच्छेद ३४३ द्वारा स्वीकृत राष्ट्रभाषा, यदि सम्भव न हो तो किसी प्रादेशिक भाषा जो उनकी मातृभाषा ही हो सकती थी, में पढ़ें, निवेदन को अस्वीकार किये जाने पर मैंने तथा मेरे दल के लोगों ने सदन त्याग किया। इन्हीं दोनों बातों के औचित्य पर विचारने तथा औचित्य न होने पर हम लोगों को बंड दिये जाने के लिये अध्यक्ष महोदय, आपने कृष्णमूर्ति राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

सदन द्वारा सदन के किसी सदस्य के आचरण सम्बन्धी जांच समिति की नियुक्ति इस के पहले भी १९५१ में हुई थी। वह समिति श्री मुद्गल, जो उस समय सदन के सदस्य थे, के आचरण की जांच के लिये बनी थी। जो प्रक्रिया तथा नियम श्री मुद्गल के सम्बन्ध में अपनाये गये, उससे भिन्न हम लोगों के सम्बन्ध में अपनाये जा रहे हैं। मुद्गल के मामले में जांच सम्बन्धी समिति के निर्माण का प्रस्ताव वाक्यादे प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत हुआ। सदन में बादविवाद और श्री मुद्गल को सुनने के बाद समिति का गठन और उसके निर्देश पद (टर्म्स आफ रिफरेंस) स्वीकार किये गये। मेरे मामले में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया और समिति का गठन तथा उम के निर्देश पद केवल अध्यक्ष महोदय द्वारा निश्चित किये गये। मुझे उस समय या बाद को सदन के सामने निवेदन करने का अवसर भी नहीं मिला। यही नहीं, अध्यक्ष ने स्वयं १८-२-६३ को सदन में हम लोगों के खिलाफ संविधान का अपमान, पूर्व नियोजित, शपथ भ्रवहेलना, अक्षबार में छपने आदि की बातें कहीं। जब कभी अक्षबार में छपी बात का हवाला दे कर

प्रश्न किया जाता है तो उसे आधार नहीं माना जाता पर इस मामले में बिना तसदीक किये हुए हवाला ही नहीं दिया गया बल्कि सही मान लिया गया। अध्यक्ष महोदय ने कहा :

"In my opinion—of course, it is a *prima facie* opinion of mine; I have not gone into the case—it is an insult to the Constitution itself and a violation of the oath that the Members have taken.

So far as the calculated move was concerned, there can be no doubt about it because previous intimation had been given. It has appeared in the papers as well and it was known to everybody that they were going to do this. Therefore, it was done with an intention, premeditated and pre-conceived.

Then the President had told them that it did not behove them and, therefore, they should stop; but a sustained effort was made to stop the President from delivering that Address. Therefore, he had to ask me to take some action or do something. But when I stood up, certainly the Members decided to walk away."

समिति में सर्वश्री जयपाल सिंह तथा सेठ गोविन्द दास दो ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने हम लोगों के आचरण के खिलाफ १८-२-६३ को सदन में बोल कर अपनी राय जाहिर कर दी थी। समिति में इन लोगों को रखना न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्त तथा न्याय के विरुद्ध है। मेरे मन में इन लोगों के प्रति आदर है, पर उन्हें समिति में नहीं रखा जाना चाहिये था या उन्हें स्वयं हट जाना उचित था। जयपाल सिंह ने यह कहा :

"I feel that the behaviour of certain of our colleagues is a very serious reflection on the dignity of the Lok Sabha."

सेठ गोविन्द दास ने कहा :

“यह केवल हमारे राष्ट्रपति का ही अपमान नहीं है, यह हमारे सारे राष्ट्र और दोनों सदनों का अपमान है।”

अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों के आचरण पर टीका करते हुए राष्ट्रपति जी का हवाला दिया कि राष्ट्रपति जी ने अध्यक्ष जी से हम लोगों के खिलाफ कार्यवाही या कुछ किये जाने के लिये कहा, ऐसा कहा। इसे मैं राष्ट्रपति द्वारा सदन के कार्य में हस्तक्षेप मानता हूँ। समिति ने मुझे उपरोक्त कथन के लिये भी दोषी ठहराया। किसी अभियुक्त के बयान पर न तो सजा दी जाती है और न ही जज अपना रोष प्रकट करता है। मैं सदन का ध्यान समिति के छपे हुए प्रतिवेदन के पैराग्राफ २२ की ओर आकृष्ट करूँगा। इस में कहा गया है :

“सर्वश्री रामसेवक यादव, मनीराम बागड़ी तथा बी० एन० मंडल ने समिति के समक्ष जिस प्रकार के वक्तव्य दिये हैं, जिन में उन्होंने राष्ट्रपति तथा समिति पर गम्भीर दोषारोपण किया है, उससे उन के अपराध में और भी वृद्धि हो गई है।”

समिति ने इतने शीघ्र अपना प्रतिवेदन दिया, इससे प्रतीत होता है कि वह इसी प्रकार का निर्णय देने का मन पहले ही बना चुकी थी। घटना के सम्बन्ध में अध्यक्ष के विचारों को सुनने के बाद, उनके द्वारा ही गठित की गयी समिति से मौजूदा प्रतिवेदन की ही आशा थी। मैं सदन से यह विनम्र निवेदन करूँगा कि वह हम लोगों के साथ न्याय करे। दिनांक १८-२-६३ को सदन में हम लोगों की भर्त्सना तथा निन्दा अनौपचारिक रूप से की गयी और आज उसी अपराध के लिये औपचारिक रूप से सजा दिये जाने के लिये विचार

हो रहा है। एक ही अभियोग के लिये दो बार दंडित करना न्यायसंगत नहीं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान जनतांत्रिक संविधान है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वह सत्तारूढ़ दल ही द्वारा खड़ा किया जाता है और उसी की शक्ति के आधारे पर जीतता है। अतः राष्ट्रपति की इंग्लैंड के राजा या रानी से तुलना उचित नहीं। राजा, रानी दलों से ऊपर होते हैं पर वह स्थिति भारतीय राष्ट्रपति की नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १०५ उपधारा (३) में दिया है कि इस सदन के विशेषाधिकार वही हैं जो हाउस आफ कामन्स के। यह कहीं नहीं दिया कि राजा या रानी से प्रश्न पूछा जाना या निवेदन करना अपराध है। यदि है तो यह काम समिति का था कि इसे साबित करती।

इसी सदन में एक बार माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टीका करते हुए कहा कि अभिभाषण अवर सचिव द्वारा तैयार की गयी रट्टी रिपोर्ट के समान है। आपत्ति किये जाने पर उस समय के उपाध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि राष्ट्रपति सरकार के “माउथ पीस” हैं। इसलिए उन पर टीका टिप्पणी करना अनुचित नहीं। उसको उचित ठहराया। यह इसी सदन के उपाध्यक्ष की व्यवस्था है।

मैं ने राष्ट्रपति जी द्वारा उनकी सरकार से निवेदन किया कि अभिभाषण संविधान तथा पुरानी परम्परा के अनुसार राष्ट्रभाषा म पढ़ा जाये, यदि सम्भव न हो तो किसी प्रादेशिक भाषा में जो राष्ट्रपति जी की मातृभाषा ही सम्भवतः होती। मैं ने राष्ट्रपति जी महोदय को केवल हिन्दी में पढ़ने के लिए बाध्य किया यह सत्य नहीं है। निवेदन तथा अनुरोध कभी अपमान नहीं माने जाते। मैं ने केवल निवेदन तथा अनुरोध किया, हस्तक्षेप नहीं किया और निवेदन के अस्वीकार किये जाने पर सदन त्याग करना पड़ा। सदन त्याग

[श्री रामसेवक यादव]

जनतंत्र तथा संसदीय प्रणाली के प्रतिकूल नहीं। सदन त्याग विरोध प्रकट करने का एक गं है। १९३६ में श्री भोला भाई देसाई के नेतृत्व में यहीं विधान सभा में सदन त्याग हुआ और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में सभी विधायकों ने सदन का त्याग किया। सदन त्याग अपनी इच्छा अनिच्छा प्रकट करने का ही एक तरीका है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सदन त्याग की प्रणाली अनुचित नहीं है और अगर इस पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा और ऐसा करने के लिए सदन के किसी सदस्य को दंड देने की व्यवस्था की जाती है तो यह जनतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है।

अध्यक्ष महोदय, समिति ने अपने ति-बेदन में विधान सभा तथा विधान परिषदों के अध्यक्षों के बीच भूतपूर्व अध्यक्ष लोक सभा श्री अयंगर के दार्जिलिंग के भाषण का हवाला दिया। अध्यक्ष ने सदन के बाहर क्या कहा, यह व्यवस्था या निर्णय नहीं माना जायेगा वह केवल एक राय होगी।

आप जानते हैं, सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि इस देश की विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में सदन त्याग विशेष तौर पर राज्य पालों के अभिभाषण के समय आ है। उन विधान सभाओं में राज्यपालों की वही स्थिति है जो यहां राष्ट्रपति की है। लेकिन वहां उन सदस्यों के विरुद्ध इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इस सदन को यहां इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो जनतंत्र के विरुद्ध जाती हो क्योंकि सदन की कार्रवाई देश की विधान सभाओं और धारा सभाओं के लिए एक नमूना बन जायेगी।

राष्ट्रपति जी से यह निवेदन कि अभि-भाषण राष्ट्रभाषा या मातृभाषा में पढ़ा जाये, संविधान के प्रतिकूल नहीं अनुकूल था। मैं सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३४३ (१) तथा उपधारा (२) के परन्तुक

और अनुच्छेद ३४४ (२) के भाग (क) तथा (ख) की ओर आकृष्ट करूंगा। साफ दिया है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी। अंग्रेजी के १९६५ तक प्रयोग किये जाने की व्यवस्था के होते हुए भी यह साफ दिया है कि राष्ट्रभाषा का प्रयोग बराबर बढ़ता जायेगा और १९६५ तक अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त हो चुकेगा।

श्रीमन्, संविधान का अनुच्छेद ३४३ (१) इस कार है :

“संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।”

इसी अनुच्छेद का दूसरा खंड इस व्यवस्था से आगे जाता है। उस में दिया है :

“खंड (१) में किसी बात के होते ए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए से प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।”

अध्यक्ष महोदय, समिति के अध्यक्ष ने जब इसका हवाला दिया तो वह बड़ी आसानी से अनुच्छेद ३४३ के खंड (२) के परन्तुक को भूल गये जिसमें साफ दिया है :

“परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तराष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।”

फिर सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान मैं अनुच्छेद ३४४ की ओर आकृष्ट

करूंगा। इस अनुच्छेद के मातहत राष्ट्रपति को समिति गठित करने का अधिकार है और उस समिति का जो गठन होगा वह खास दो प्रयोजनों के लिए होगा जो इस अनुच्छेद की उपधारा २ के भाग (क) और (ख) में वर्णित हैं।

“(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के,

(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के निबन्धनों के,

बारे में सिफारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा।”

अगर आप संविधान की व्यवस्था को पढ़ें तो उस में यह स्वीकार किया गया है कि १९६५ तक अंग्रेजी के प्रयोग की व्यवस्था है, लेकिन संविधान में लिखित उद्देश्य के मंशा से यह साफ जाहिर है कि अंग्रेजी की स्थिति यह होगी कि वह बराबर घटती जायेगी और उसकी जगह राष्ट्रभाषा लेती जायेगी। संविधान की यह मंशा है। यदि संविधान की मंशा की ओर देखा जाये तो हम लोगों का कार्य ऐसा नहीं है कि हम को बोधी ठहराया जाये। संविधान में साफ दिया गया है कि हिन्दी अंग्रेजी के स्थान पर देश की राष्ट्रभाषा होगी।

अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद ५३(१) के अनुसार राष्ट्रपति संघ सरकार की कार्यकारिणी का सर्वोच्च अधिकारी है। संविधान के अनुच्छेद ३५१ के अनुसार राष्ट्रभाषा का प्रसार संघ सरकार का अनिवार्य कार्य होगा। १९५० से ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद अपना अभिभाषण राष्ट्रभाषा में पढ़ते थे। यह परम्परा सन् १९६२ तक चली। जब अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि की समाप्ति में केवल

तीन वर्ष शेष रह गये तो पुरानी परम्परा को उलट दिया गया, संविधान की जो मंशा है उसका गला घोट दिया गया। ऐसा सरकार ने जान बूझ कर कराया क्योंकि प्रधान मंत्री की इस घोषणा का कि १९६५ के बाद भी अंग्रेजी सखी भाषा के रूप में प्रयोग की जायेगी और इस सम्बन्ध में चालू सत्र में विधेयक प्रस्तुत होगा, यही अर्थ है और दूसरा नहीं। संविधान तथा परम्परा की रक्षा की मांग करने के मेरे आचरण पर सदन में आज बहस होगी।

श्रीमन्, मैं सदन का ध्यान अनुच्छेद ५३(१) तथा ३५१ की ओर आकृष्ट करूंगा। अनुच्छेद ५३(१) में लिखा है :

“संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा।”

फिर इसी के साथ अनुच्छेद ३५१ में साफ दिया हुआ है :

“हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उस का विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उस की आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दु-स्थानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उस के शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते

[श्री राम सेवक यादव]

हुए उम की समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।”

तो यह संघ का अनिवार्य कर्तव्य है और राष्ट्रपति जी हमारे संघ के सब से बड़े अधिकारी हैं।

कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी राष्ट्रभाषा नहीं जानते। यदि यह सही है तो इसमें बड़ी लज्जा की बात देश और संविधान के लिए क्या हो सकती है कि राष्ट्रपति राष्ट्रभाषा न जानें। राष्ट्रपति ने मुझ को लिखे गए दोनों पत्रों में यह नहीं कहा कि वे राष्ट्रभाषा नहीं जानते, उन्होंने आसानी का प्रश्न उठाया। मैंने तो यह भी निवेदन किया कि प्रादेशिक भाषा में पढ़ें। राष्ट्रपति ने हिन्दी में पत्र व्यवहार की सुविधा से सम्पन्न होते हुए भी मेरे हिन्दी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में ही दिया। इससे भी सरकार का हठ प्रतीत होता है। कहा जाता है कि हम लोग हिन्दी लाद रहे हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी को नादा जा रहा है।

अभिभाषण का दिया जाना एक राष्ट्रीय महत्व का सवाल है, ऐसे मौकों पर राष्ट्र सम्मान का अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। जनतंत्र बिना जनभाषा निर्जीव तथा समाजवाद निष्प्राण है और इस सदन में विशेषता मत्तारूढ़ दल ने इस देश में समाजवाद फैलाने का व्रत लिया है। चीन के खिलाफ हमारी पराजय के कारणों में से प्रमुख एक भाषा का भी कारण है। देश का औद्योगीकरण तथा उत्थान विदेशी भाषा द्वारा सम्भव नहीं है। अभिभाषण का अंग्रेजी या हिन्दी में पढ़ा जाना सुविधा या असुविधा का सवाल नहीं, यह प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का है।

स्वतन्त्रता संग्राम के समय कुछ लोगों के लिये अंग्रेजों के साथ रहना और आराम की जिन्दगी बिताना ही आसान था। इसके विपरीत बहुतों ने अंग्रेजों से लड़ना तथा कठिन जीवन बिताना ही धर्म-कार्य और अपना कर्तव्य समझा। हमारी स्वतन्त्रता उसी कठिन मार्ग का परिणाम है।

इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य और विशिष्ट: प्रधान मंत्री जी भलीभांति जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जब हम स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमें कठिनाई का मार्ग अपनाना पड़ा था। अगर हम उसको नहीं अपनाते तो आज जिस स्थिति में यह सदन भूतिमान है यह नहीं होता। इसलिए जब चीन के मुकाबले में हमारी पराजय हुई, जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस लगी, उसे हमें दूर करना है तो हमें आसानी का रास्ता नहीं ढूँढ़ना चाहिए। अपने खोये हुए आत्मसम्मान को वापिस लाने के लिये हमको कठिनाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, भाषा के प्रश्न को लेकर कुछ स्थिर स्वार्थी लोगों का कुचक्र चल रहा है। वह है अंग्रेजी वाले २ प्रतिशत लोग जिनके बेटे, नाती पब्लिक स्कूल तथा विदेशों में पढ़ते हैं। यह दो प्रतिशत लोग आज देश की राजनीति तथा व्यापार पर छाये हुए हैं। यह एकाधिपत्य अंग्रेजी द्वारा ही कायम रह सकता है। जनभाषाओं के प्रतिष्ठित होते ही एकाधिपत्य समाप्त हो जायेगा। समाजवादी पार्टी के भाषा सम्बन्धी विचारों को लेकर देश भर में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये लोग हिन्दी लादना चाहते हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि हम लोगों का विरोध अंग्रेजी से है, वह भी उसके सार्वजनिक प्रयोग तथा अनिवार्य पढ़ाई

से। क्योंकि अंग्रेजी भारत में सामन्तों की भाषा तथा शोषण की बोली है। कहा जाता है कि दक्षिण भारतीय अंग्रेजी चाहते हैं, यह बात सर्वथा निराधार है। वहाँ की जनता तामिल, तेलुगु, मलयालम तथा मराठी आदि चाहेगी, अंग्रेजी नहीं।

यह भी कहा गया कि यदि मेरी बात मान ली जाये तो दक्षिण भारतीय कभी राष्ट्रपति नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं यह चाहूँगा कि दक्षिण भारतीय केवल राष्ट्रपति पद पर ही नहीं अपितु प्रधान मंत्री पद पर भी बैठें। मुझ को तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। मैं तो यह भी चाहूँगा कि राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री इन दोनों पदों पर दक्षिण भारतीय हो और पिछड़ी जाति से कोई हरिजन महिला अगर इन पदों पर बैठें तो इससे ज्यादा खुशी मुझे कोई दूसरी नहीं हो सकती लेकिन शर्त यह है कि वे अपनी मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा का आदर करें। चाहे वह दक्षिण से हों अथवा उत्तर से उन को राष्ट्रभाषा और अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिए। यह चीज बहुत ही जरूरी है। जब राष्ट्रभाषा तथा मातृभाषा नहीं तो राष्ट्र सम्मान कहाँ ?

अध्यक्ष महोदय आज गान्धी जी को स्वर्गवास हुए केवल १५ वर्ष हुए हैं। इन्हीं पन्द्रह वर्षों में देश में राष्ट्रभाषा तथा मातृभाषा के नाम लेने पर लोग दंडित किये जायेंगे, कौन सोचता था? गोडसे ने गांधी जी के शरीर को मारा पर यह कौन सोचता था कि गांधी के उत्तराधिकारी द्वारा ही उनकी आत्मा का भी हनन होगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस मसले पर आज सदन में विचार हो रहा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान का सवाल है, इस पर इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। संविधान के विद्वानों तथा सर्वोच्च न्यायालय आदि की राय लेनी चाहिए

थी। समिति को घटना के कारणों पर तथा कारणों को दूर करने पर भी विचार कर सुझाव देना चाहिये था। अब समिति ने जैसा कि तय कर लिया है कि सजा देनी है तो अच्छा यह होता अगर वह इस पर भी विचार करती कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, और इसके घटित होने का कारण क्या है। इन सब बातों पर विचार होना जरूरी है क्योंकि श्रीमन्, जैसे मैं ने आपसे निवेदन किया शुरु में। फिर निवेदन करूँगा और बारबार करूँगा कि राष्ट्रपति महोदय के जहाँ तक व्यक्तित्व का सवाल है, उनके पद का सवाल है, मेरा उनका कतई अपमान करने का न इरादा था, न है और न ही कभी आये होगा। लेकिन जब राष्ट्रपति जनभाषा, मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में न बोल कर विदेशी भाषा में बोलने का हठ करें तो मुझे जैसे लोगों के व्यवहार में जरूर अंतर आयगा। समिति ने ऐसी घटना आखिर क्यों घटी और भविष्य में न घटे, इन बातों पर उसने अपने दिमाग को जोर नहीं दिया। समिति ने अपना कर्तव्य सग्न लिया कि यह लोग दोषी हैं और अब वे दोषी हैं तो उन्हें सजा देनी चाहिए और उन्होंने सजा भी निश्चित कर दी।

समिति को घटना के कारणों पर तथा कारणों को दूर करने पर भी विचार कर सुझाव देना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि उसने ऐसा नहीं किया। यदि सदन हम लोगों को सजा देता है तो यह सजा संविधान को और जनभाषा प्रेमियों को होगी। सदन से मेरा निवेदन है कि वह इस प्रतिवेदन को अस्वीकार करे। संविधान की रक्षा तथा जनभाषाओं की प्रतिष्ठा राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सम्मान है। इससे बड़ा कोई दूसरा सम्मान नहीं हो सकता।

[राम सेवक यादव]

अन्त में मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन कर्हंगा कि सदन को कोई ऐसी परम्पराएं न डालनी चाहिए कि मुदगल की घटना से इस घटना को जोड़ा जाय। मुदगल की घटना से इस घटना को जोड़ना यह कम से कम मेरे, मेरे साथियों और श्री रामेश्वरानन्द के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। मुदगल का प्रश्न पैसे और धन से सम्बन्धित था लेकिन यह तो राष्ट्रभाषा का प्रश्न है, यह तो संविधान का सवाल है, नीति का सवाल है और इस देश की जनता का सवाल है, इसलिए यह दोनों प्रश्न अलग अलग दृष्टि से देखे जाने चाहिए। इसलिए मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन कर्हंगा कि वे इस सारे मसले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और विचार करने के बाद अन्त में, मेरा निवेदन यह है कि वे इस समिति के प्रतिवेदन को अस्वीकार कर लें।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामसेवक यादव ने जितना पढ़ना था या कहना था, कह लिया। इस सदन ने उनको यह तो आज्ञा दी है कि वे और अन्य चारों माननीय सदस्य यहां अंदर बैठे रहें मगर मेरी उनसे एक विनय होगी कि वे यहां बैठे तो रहे लेकिन जो यहां पर बहस हो उसमें वे दखल न दें और न्युप करके बैठे रहे। अब मैं श्री बागड़ी से कर्हंगा कि उन्हें जो कुछ कहना है वे कहें।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में मैं एक दफे यहां से सजा भुगत चुका हूँ और दूसरी दफा सजा भुगतने के बारे में सोच विचार हो रहा है। उसकी सफाई में मैं कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मैं भारत देश के उस तबके से ताल्लुक रखता हूँ जिस तबके ने शायद ही

कभी हिन्दुस्तान के राजदरबार में बैठ कर राजदरबार की बात की हो। मैं देश के उस गरीब और मजदूर तबके से ताल्लुक रखता हूँ जिसका कि पेशा खेती और मजदूरी है और जिसकी कि भाषा इस देश के गरीब लोगों की भाषा है। मुझ जैसे आदमी का इस सदन में चुन जाना यह बापू जी की और कल के नेता और आज के हाकिमों की बात तो वह जाने, लेकिन कल के नेताओं की उस देन की है जो कि इस देश को दी है। इस देश को उन्होंने विधान दिया जिस विधान के अनुसार जनता ने मुझे यहां भेजा। आज मैं इस मामले को जो आपके सामने पेश हो रहा है उसके ऊपर तीन बातें अपनी तरफ से अर्ज कर्हंगा। पहली बात यह कि हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया है, हम इस बात के लिए मुल्जिम हैं, कसूरवार ठहराये जायेंगे कि हमने माननीय राष्ट्रपति के भाषण के वक्त में बोला और उनसे निवेदन किया तो हमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। दूसरे यह कि राष्ट्रपति जी से जब हमने निवेदन किया उन्होंने नहीं माना तो हमने वहां से सदन का त्याग किया, यह दो जुर्म हमारे ऊपर लगाये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या हमें राष्ट्रपति जी का मान व प्यार दूसरों से कम है? राष्ट्रीय किताब जिसको कि हम पवित्र समझ कर और जिसके कि आधार पर चलते हैं हर देशवासी को वह प्यारी है लेकिन राष्ट्रपति से वह प्यार कब टूटता है, कब छूटता है जब या तो उनकी वृत्ति इतनी गंदी हो जाती है कि वह राष्ट्र के खिलाफ कार्य करना चाहते हैं या ऐसे हालात होते हैं कि राष्ट्र का प्रेम जनता को दे नहीं सकते।

13 hrs.

अध्यक्ष महोदय, मैं इस देश के सबसे बड़े इंसान की बात आपके सामने अर्ज कर्हंगा। वह इस देश के महान त्यागी,

तपस्वी और देश के राष्ट्रपिता हैं। आज चाहे अमल से नहीं, लेकिन जुवान से तो सभी लोग उनका नाम लेते हैं, उनको बापू और राष्ट्रपिता कहते हैं, उनकी मूर्ति भी रखते हैं और उनका नाम लेकर काम चलाते हैं। लेकिन आज अगर हिन्दुस्तान के निर्माण का कोई आधार है, तो वह आधार बापू के वे शब्द और विचार हैं, उनकी देन है। क्यों मैंने राष्ट्रपति जी से निवेदन किया ? आज हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीब लोग यह चाहते हैं कि उनकी जन-भाषा में हिन्दुस्तान का राजकाज चलना चाहिए और उसकी बिना पर हिन्दुस्तान का दबा हुआ तबका अपना राजकाज चला सके या समझ सके। मैंने उन गरीबों की तर्जुमानी करने की इतनी बड़ी गुस्ताखी क्यों की ? आप दुनिया की कोई मिसाल ले लीजिए। आपको ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र में उस देश का राष्ट्रपति ऐसे माननीय मौके पर, ऐसे अवसर पर, अपना भाषण किसी विदेशी भाषा में देता हो। और फिर उस बापू के देश में ऐसा किया जाये, उस माननीय राष्ट्रपिता के देश में ऐसी मिसाल कायम की जाये, जो कि कहते थे कि हिन्दुस्तान में जो जो लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वे न तो अपने बच्चों का और न अपने देश का हित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहुत बड़े सदन में जरूर बैठा हूँ, और बड़े बड़े लोगों में बैठा हूँ, लेकिन आखिर मेरे जन्म तो उन गरीब और दबे हुए लोगों में हुआ है, जिनकी भाषा अपने देश में अपमानित हो रही है। अगर ग्रेट ब्रिटेन में वहाँ की मलिका या रानी अंग्रेजी में भाषण देती और अगर वहाँ का कोई संसद सदस्य, वहाँ का कोई मेम्बर, यह कहता कि हिन्दुस्तानी में, हिन्दी में, या हिन्दुस्तान की किसी प्रादेशिक भाषा में, अपना भाषण

करो, तब तो यह बात मानी जा सकती थी कि उस ने मानहानि की है। लेकिन अगर हिन्दुस्तान के दिल की बात कही जाए, अगर हिन्दुस्तान के राष्ट्रपिता बापू की बात कही जाए, जो कि स्वर्ग में बैठे हुए यह मांग करते हैं और हर एक हिन्दुस्तान से यह चाहते हैं कि उन की भावना को पूरा किया जाये, तो उसको मानहानि कैसे कहा जा सकता है ?

किसी वक्त अंग्रेजी को हिन्दुस्तान से निकालना जुर्म था और शायद उस वक्त के कोई "सर" या "राव बहादुर" हमारे माननीय प्रधान मंत्री जैसे देशभक्तों से, कल के नेताओं से, यह कहा करते होंगे कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ कर वे गलती कर रहे हैं और अगर अंग्रेज हिन्दुस्तान से निकल गया, तो यह देश किस तरह सम्भलेगा ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत इस माननीय सदन के सामने अर्ज करूँगा कि अंग्रेज को निकालना जितना कठिन और देश के लिए फायदेमन्द था, आज बापू की गौर-मौजूदगी में ऐन इसी तरीके से अंग्रेजी को हिन्दुस्तान से निकालना उतना ही कठिन, लेकिन देश के लिए उतना ही फायदेमन्द है।

इसलिए मैंने राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं किया, बल्कि मैंने अर्ज की थी। दुनिया में आज तक किसी युग में, किसी राज में, किसी सरकार में, बड़े से बड़े भगवान के दरबार में भी, फरियाद करने की इजाजत होती है। अगर यह बोलने का हक छीन लिया गया, अगर फरियाद करना भी इस जनतंत्र में जुर्म कर दिया गया, तो मैं आप की मार्फत इस सदन के सामने अर्ज करूँगा कि फिर मानवता इस देश में नहीं मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, आप पंजाब के इतिहास से पूरी तरह वाकिफ हैं। आपको

[श्री बागड़ी]

मालूम होगा कि किसी युग में जोराबर सिंह और फतेह सिंह ने भी सत्य बात कहनी चाही थी और उस वक्त की हुकूमत ने उन के सिरों पर दीवारें चुनवा दीं। उस वक्त के राज-दरबार में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। उस वक्त नवान मालेरकोटला ने घ्राह भरी और कहा कि यह जुल्म है। उस वक्त वह निदित हुए थे, लेकिन आज वे पूजे जाते हैं। आज न वे राजे रहे, न वे नवाब रहे, न वे जासिम रहे और न वे मजलूम रहे, लेकिन जुल्म के खिलाफ धावाज उठाने वालों और सच्ची बात कहने वालों के नाम आज तक इतिहास हमको बाद दिलाता है।

मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मैं अपनी सफाई में यह बात नहीं कहता हूँ। मैं तो एक कंगले घर में पैदा ही इसलिए हुआ हूँ कि मैं सजा भुगतूँ। सजा के डर से मैं नहीं कांपता हूँ। मैं तो इस मान-योग्य सदन की पवित्रता के ऊपर थोड़ी सी भी छाया पड़ने के खयाल से डरता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि इस सदन में कोई ऐसी कार्य-बाही न की जाये कि आने वाले युग में, आने वाली सन्तानें यह कहें कि इस सदन ने जुल्म किया, जो कुछ उसने किया। वह जनतंत्र के मुताबिक न था और इस तरह इस सदन की पवित्रता पर कोई मियाह बन्ना न लग जाये।

इसके बाद मैं भाषा के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। कुछ भाइयों ने कहा है और वे कहते हैं कि ये तो हिन्दी लादना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम हिन्दी लादना नहीं चाहते हैं। अगर कोई यह बात कहता है कि अंग्रेजी इस देश में जरूर रहे, तो फिर अगर हिन्दी लादनी है, तो अंग्रेजी के मुकाबले में शक लदे। अगर अंग्रेजी जबदस्ती थोपी जाये, तो यह तो लादना नहीं है, लेकिन अगर कोई इस देश हिन्दुस्तान के करोड़ों इसानों

की जन वाणी की बात करे, तो कहा जाता है कि उस को लादा जा रहा है। आज सवाल यह है कि अगर अंग्रेजी और मलयालम का मुकाबला होगा, तो आप किस के पक्ष में जायेंगे। मराठी, तेलुगू, पंजाबी वगैरह हिन्दुस्तानकी जो भाषाएं हैं, उन का मुकाबला अंग्रेजी से करते हो? अंग्रेजी और हिन्दी के मुकाबले में अगर हिन्दी का पक्ष लिया जाये, तो अंग्रेजी के पक्ष में बोलते हो? क्या आज राष्ट्रपिता गांधी की आत्मा स्वर्ग में दुल्कारती नहीं होगी कि मैंने कितने ही साल तक जो देश भाषन और भातृभाषा का प्रेम सिखाया, पन्द्रह माल के कलील अर्से में ही मेरे उत्तराधिकारी राजमन्ता में उसको भूल गए ?

मैं अर्ज करूंगा कि हमारी लड़ाई हिन्दी और मराठी की नहीं है, हिन्दी और पंजाबी की नहीं है। हमारी लड़ाई अंग्रेजी के साथ है। अच्छा होता कि राष्ट्रपति जी हिन्दुस्तान की किसी भाषा में आना भाषण पढ़ते। सवाल यह नहीं था कि हिन्दी में भाषण बाद में पढ़ दिया गया था। समझने और समझाने का सवाल नहीं है। अगर सवाल समझने और समझाने का था, तो फिर मान और अपमान का क्या सवाल रह गया सवाल तो सिद्धांत रीति-नीति का है। इस बारे में यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी के मान और इष्टता में फर्क आया। तो क्या हिन्दी भाषा की इष्टता में फर्क आया या नहीं? हिन्दुस्तान की दूसरी भाषाओं की इष्टता में फर्क आया या नहीं। हिन्दुस्तान में अंग्रेजी भाषा को इष्ट मानने और फिर उसका तर्जुमा करने से सारी दुनिया में हिन्दुस्तान की मान हानि हुई है कि स्वतंत्र होने के सोलह साल बाद तक हिन्दुस्तानी अपनी कोई भाषा नहीं बना सके, कोई भूषा नहीं बना सके, कोई भविष्य नहीं बना सके, क्योंकि अगर भाषा नहीं है, तो उसके वगैर भविष्य कैसे बनेगा।

भाषा के बारे में दक्षिण और उत्तर, नाथ और साउथ, का सवाल उठाया जाता है । मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के गरीब लोग, चाहे वे बम्बई में रहते हों, चाहे वे जयपुर में रहते हों, चाहे वे बीकानेर में रहते हों, चाहे वे दक्षिण में रहते हों, यही चाहेंगे कि हमारी बाणी में, हमारी भाषा में बात की जाये, लेकिन ये बड़े लोग, जो कि गले में लंगोट डाल कर राजनीति की कुस्ती लड़ते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे ।

श्री ना० श्रीकान्तन नायर (क्विबोलोन) : हिन्दी की बाणी चाहिये ।

श्री बागड़ी : हिन्दी हो या मराठी, तेलगू, बंजाबी हो ।

अध्यक्ष महोदय : अगर दूसरे माननीय सदस्य खामोश रहें, तो शायद माननीय सदस्य, श्री बागड़ी, जल्दी खत्म कर सकेंगे ।

श्री बागड़ी : मैं आप की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि यह तो इतिहास में कोई एक्सिडेंट हो गया कि मुझ जैसा गरीब यहां पर आ गया, वना मुझ जैसे कंगले को तो कोई दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाने देता था । जब मेरे जैसे इन्सान के सामने जन-भाषा, देश की भाषा, राष्ट्र-भाषा और बापू की आशाओं और तमन्नाओं का खून होता हो, तो मेरा धर्म है कि मैं फरियाद करूँ और मैं ने फरियाद की । मैं ने कोई गुनाह नहीं किया । अगर दुनिया में ईश्वरवादी लोग ईश्वर के सामने अर्ज और फरियाद कर सकते हैं और राज-दरबार में बैठने वाले हर वक्त फरियाद के तौर पर अपनी बात कह सकते हैं, तो जो कुछ मैंने किया वह जायज किया । अगर यह जुर्म है, अगर यह सदन इस को जुर्म मानता है, तो इस बात को याद रखा जाये कि हमारे शहीद, पीर पैगम्बर मानवता और स्वतंत्रता के लिये तख्ता-ए-दार पर चढ़े या जिन्होंने सीने पर गोलियाँ खाई या सिरों पर तारों चुनवाई या जो गले पर

तोष लगवा कर शहीद हुए हम उन लोगों की शहादत के साथ बेवफाई करेंगे और जनता और जन-भाषा की स्वतंत्रता के ऊपर आघात करेंगे ।

यह कहा गया है कि मैंने बाक घाउट कर के सदन का त्याग करके राष्ट्रपति जी का अपमान किया है । मैं बहुत बड़ा कानून का विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मोटी बात जानता हूँ कि हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया में ऐसी कोई पाबन्दी किसी के ब्रिये नहीं कि वह ज़रूर बैठा रहे, मासिवाये जेलखाने के । जेल में ज़रूर यह पाबन्दी होती है कि कैदी वहां पर बैठा है, लेकिन स्वतंत्र आदमी तो अपनी मर्जी का मालिक होता है जाने और जाने आई, तो सुन ली । नहीं पसन्द आई, तो चले गये । अगर मैंने कोई दुर्व्यवहार किया, कोई अपशब्द कहा, या और कोई आपत्तिजनक बात कही, तब तो ऐतराज किया जा सकता है । मैं अती राष्ट्र-भाषा से प्रेम करने वाला हूँ, अपने राष्ट्र के साथ प्रेम करने वाला हूँ, गांधी, गीतम और नानक को अपना इष्ट मानने वाला हूँ । अगर मेरे मतानुसार हिन्दुस्तान के करोड़ों इंसानों की बाणी के साथ, जनबाणी के साथ अन्याय हो रहा हो, उसका अपमान हो रहा हो और मेरी बात न सुनी जा रही हो, तो फिर मेरी आत्मा की अगर यह आवाज हो, कि उठ कर चला जा और मैं उठ कर चला जाता हूँ तो उसके दण्ड स्वरूप अगर मुझे अपनी जिन्दगी भी देनी पड़े तो उसको देने के लिए भी मैं तैयार हूँ । आप जो भी सजा मुझे देंगे उसको मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ । लेकिन आप को देख लेना चाहिये कि आगे कौन सा पथ आपने बनाना है ।

हमने दुनिया के इतिहास को देखा है, भारत के इतिहास को देखा है, जो राजा

[श्री बागड़ी]

महाराजा हो गुजरे हैं, उनकी भ्रदाओं को देखा है, उनके राग रंगों को देखा है, उनकी भ्रदावतों को देखा है, लेकिन यह जो जनतांत्रिक राज्य है, यह सब से सुन्दर है, इससे भ्रच्छा राज्य पहले कभी नहीं आया है। मुल्जम को कम या ज्यादा सजा देने की बात हो सकती है, लेकिन एक मुल्जम को एक ही कुसर के लिए दो दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। हमारी मजमत कर दी गई है हमारे फेल की मजमत कर दी गई है और उसके बाद यह मुअ्तली और बरखास्तयी की क्या जरूरत रह गई है। जो कुछ हमने किया उसकी १८ तारीख को मजमत की गई और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहां पर हाजिर थे। उन्होंने भी कुछ कहा था। जब यह हो चुका तो दुबारा हमें सजा क्यों दी जा रही है, इसकी क्या जरूरत महसूस हो गई थी, इसको मैं समझ नहीं पाया हूं। हमारे रवैये की निन्धा के बाद कमेटी मुकर्रर की गई। अब आप देखें कि इस कमेटी में कौन मंम्बर साहिबान थे। इन में से दो तो वे थे जिन्होंने उस वक्त हमारे खिलाफ फंसला दे दिया था। जब इनका प्रेजुडिस्ड माइंड था, जब इन्होंने पहले से ही अपना माइंड बना लिया था, तो फिर यह कमेटी न्याय किस प्रकार कर सकती थी। कोई भ्रदालत होती तो न्याय हो सकता था। यहां पर कमेटी तो पहले से ही अपना मन बना चुकी थी और इस में वे ही लोग थे जिन्होंने हमारे इस फेल की निन्दा की थी।

एक बात और मैं अज्रं करना चाहता हूं। यह सवाल सिर्फ वागड़ी का नहीं, यह सवाल सिर्फ राम सेवक यादव का नहीं है, यह देश के हित और देश के भ्रविष्य का सवाल है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। कि अगर देश-हित के लिए मुझे फांसी तक भी हो जाए तो उस सजा को भुगतने के लिए भी मैं तैयार हूं, उस सजा को भी मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। लेकिन तेजी में और गुस्से में आ कर कोई फंसला नहीं किया जाना चाहिये।

आपके पास शक्ति है और उसके बलवृते पर आप जो चाहें कर सकते हैं, इसको मैं मानता हूं। गुस्से में आपको कोई सख्त बात नहीं करनी चाहिये। सच्ची बात कहने वाले कम लोग ही हुआ करते हैं। देश के भ्रविष्य के लिए, देश के हित के लिए और बापू जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसकी याद करके आपकी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जो भ्रनुचित हो। लेकिन यहां पर तो ऐसा मालूम पड़ता है।

न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की घुट के भर जाऊं यह भर्जी मेरे संयाच की है।

यह दूसरा मौका है। एक बार जब बापू की हत्या हुई थी उस वक्त हम ने कहा था कि इस स्थान को कौमी स्थान बनाया जाए, यह वह जगह है जहां पर राष्ट्र पिता बापू का खूब बहा है

अध्यक्ष महोदय : जो चीज आपके सामने है, उसी के बारे में आपको जो कुछ कहना हो कहें, इसके बाहर न जायें।

श्री बागड़ी : उसी के बारे में मैं यह अज्रं करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जो करोड़ों इंसान हैं, उनकी जो भावनायें, इस राष्ट्र भाषा के प्रति हैं, उनको देखते हुए अगर इसको आदर का स्थान नहीं मिलता है, इसको वह पद नहीं मिलता है, जिसकी यह हकदार है, इसको असम्मानित किया जाता है, तो देश के अन्दर राष्ट्र के अन्दर प्रेम नहीं पैदा हो सकता है।

आप देखें कि हिन्दुस्तान की फौजों को चीन के मुकाबले में अगर थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ा है तो इसका कारण क्या है? फौज में तरक्कियां किस आधार पर दी जाती हैं। अंग्रेजी बोलने वालों को, गले में लंगोट बांधने वालों को, छुरी कांटों से खाने वालों को और गिटपिट करने वालों को ही आज तरक्कियां मिलती हैं और यह नहीं देखा जाता है कौब

बहादुर है, कौन लड़ सकता है। भाषा का कोई सम्मान नहीं होता है तो इसको बदरित करना हमारे लिए कठिन हो जाता है।

अन्त में मैं अपील करना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी से तथा सदन से कि देश आप पर आशा लगाये बैठा है। आप यहां के प्रधान मंत्री हैं। आपने एक अपने भाषण में कहा है कि हिन्दी के जो पक्षपाती हैं, जो अंग्रेज़ी का विरोध करते हैं, उन से निबट लिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि गृह नानक से लगा कर गांधी और बौद्ध ने जो विद्या दी थी, उस पर आप चलें और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम उसकी एक कड़ी बनेंगे। जो आपका फंसला होगा, उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि यह सदन इमाफ करेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मंडल साहब कुछ कहना चाहते हैं तो वह कह सकते हैं। लेकिन जो बातें कह दी गई हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। नई जो बात उन्होंने कहनी है, वह कह दें।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, जो अभियोग मेरे ऊपर और मेरे साथियों के ऊपर लगाया गया है, उस के सम्बन्ध में जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं, उनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे साथियों ने जो इसके बारे में उनके विचार थे, उनको आपके सामने रख दिया है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि किस भाषना से प्रेरित हो कर मैंने सदन त्याग किया था।

सब से पहले जो स्टेटमेंट मैंने जो कमेटी बनाई गई थी, उसके सामने दिया था, उसको पढ़ कर हाउस को सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद इनक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है और सजा देने की जो उसने सिफारिश की है, उसके सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो कुछ बातों में ने उस कमेटी के सामने कही थीं . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरी आप से यह दरुवास्त है कि अगर उसी ब्यान को आप द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो वह तो सब ने पढ़ लिया होगा। जो ब्यान आपने दिया था वह तो छपा हुआ है और उसको सब ने पढ़ लिख होगा। इस वास्ते उसको यहां अब पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री भू० ना० मंडल : सभी माननीय सदस्यों को यह रिपोर्ट मिली नहीं है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : सब को मिल गई है।

श्री भू० ना० मंडल : उस बात को छोड़ कर मैं दूसरी बातों की तरफ आता हूँ।

कुछ सदस्यों के आचरण के सम्बन्ध में जानबीन करने वाली लोक सभा द्वारा निर्मित कुछ सदस्योंकी कमेटी ने छानबीन के बाद अपनी रिपोर्ट इस सदन के समक्ष मार्च १ को पेश कर दी है। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्टों के पैरा २६ में मेरे और मेरी पार्टी के अन्य दो सदस्यों के राष्ट्रपति के अंग्रेज़ी अभिभाषण के अवसर पर सदन-त्याग की अवांछनीय, अशोभनीय और अनुचित बतलाया है और हम लोगों के लिए रेपरीमांड की सजा की सिफारिश की है। आज उस कमेटी के सभापति ने सदन में प्रस्ताव किया है कि लोक सभा का यह सदन कमेटी की सिफारिश के साथ अपनी सहमति जाहिर करे।

आज इस प्रस्ताव पर निर्णय भी लेने की बात है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात इस सदन की जानकारी में देना चाहता हूँ कि उपर्युक्त रिपोर्ट की कापी भी सदस्यों के बीच वितरित नहीं की गई है। लेकिन चूंकि आपने बताया है कि वह सभी को पहुंच गई है और सभी को मिल गई है, इस वास्ते मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और इसको यहीं छोड़ देता हूँ।

[श्री भू० ना० मंडल]

इस सम्बन्ध में जो कुछ कहना था, मैं ने कमेटी के सामने वह सब कुछ कह दिया था। मेरी बातों को सुनने के बाद भी अगर कमेटी हम लोगों के आचरण को गलत समझती है और राष्ट्रपति के अभिभाषण का पहले अंग्रेजी में पढ़ा जाना ठीक समझती है तो मैं इसको देश के लिए दुर्भाग्य ही कहूंगा। मैं चाहूंगा कि कमेटी के सामने मेरा जो ब्यान हुआ है, उसको पढ़ कर ही मेरे सम्बन्ध में लोक सभा के माननीय सदस्यों द्वारा कोई निर्णय दिया जाना चाहिये।

मेरे मुताबिक संविधान ने हिन्दी को राज भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया है। अंग्रेजी को परोक्ष रूप से लाचारी की भाषा माना है, जो पंद्रह वर्ष में राज काज से और सार्वजनिक क्षेत्र से खत्म हो जाय और केन्द्र में हिन्दी और राज्य में वहां की जन भाषा अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाये। एक मार्क की बात यह है कि संविधान के भाग १७ में अंग्रेजी का नामकरण साफ तौर से आफिसियल लैंग्वेज कहीं नहीं किया गया है। संविधान की धारा ३४३ (२) के परन्तुक के अनुसार राष्ट्रपति अपने आदेश से पंद्रह वर्ष के अन्दर के रहते भी केन्द्र में हिन्दी लागू कर दे सकता है। चूंकि राष्ट्रपति के ऊपर कोई आदेश देने वाला नहीं है, इसलिये राष्ट्रपति अपने केन्द्रीय कार्य में अगर हिन्दी लागू कर देते हैं तो समझा जाना चाहिये कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिये केन्द्रीय सभी कार्यों में वि शेष कार्य में हिन्दी लागू कर दिया। इस तरह भू० पू० राष्ट्रपति ने जब अपने अभिभाषण का हिन्दी भाषा में, और हिन्दी भाषा में पहले, अभिभाषण शुरू कर दिया, तों धारा ३३३ (२) परन्तुक के मुताबिक समझा जाना चाहिये कि हिन्दी में अभिभाषण पहले होना संबैधानिक अनिवार्यता है। इसके खिलाफ करना, संविधान की मर्यादा भंग करना है।

अब प्रश्न उठता है कि जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान भंग होता है तो सदस्य द्वारा

संविधान भंग का शान्तिपूर्ण विरोध, जो सदन त्याग का रूप ले सकता है, क्या असंबैधानिक आचरण है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस प्रकार ऐसा काम अवांछनीय, अशोभनीय और अनुचित है। एक ही आधार पर, ऐसा आचरण अवांछनीय हो सकता है जब कि संविधान से भी ऊपर राष्ट्रपति का स्थान माना जाय और सदस्य का स्थान राष्ट्रपति से नीचे माना जाय। मेरी समझ में संविधान सब से बड़ा है और संविधान ने जब पदों की सृष्टि की है, वे कोई किसी से छोटे बड़े नहीं हैं। सभी अपनी जगह पर छोटे और बड़े दोनों हैं। आज की राजनीति और राजकीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रोष यह घुस गया है कि इन क्षेत्रों के तयाकथित बड़े लोग अपने को कानून और संविधान से भी बड़ा समझते हैं और अपने अनुचित काम के लिये संविधान और कानून का तोड़ मरोड़ करते हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब कि उनके कामों को संपुष्टि देने वाले लोग बहुतायत में मिल जाते हैं। मैंने इस स्थिति को समझने की बहुत कोशिश की है और मेरा यह अनुभव है कि हिन्दुस्तान का नेतृत्व जब तक इस गिरोह के हाथ में रहेगा जिस गिरोह ने आज छे हजारों वर्ष पहले हिन्दुस्तानी समाज को दो टुकड़ों में बांट कर, बहु संख्यक जनता को अपने स्वार्थ का साधन बनाया था, तब तक समाज के यह दोष दूर नहीं हो सकते। हिन्दुस्तानी जनतंत्र की कमजोरी की जड़ में यही नेतृत्व दोष है। शुरू में, मुझे अपने निकाले नतीजे पर कुछ संदेह भी होता था, लेकिन जब से मैं ने स्वामी विवेकानन्द के "रिनैसैंट इंडिया" नामक लेख को पढ़ा है, मेरी धारणा बिल्कुल पक्की बन गयी है कि हिन्दुस्तान की डिक्लेन्ट लीडरशिप से देश का उद्धार नहीं हो सकता है। यह सड़ा नेतृत्व ही कारण है अंग्रेजी के लिये आग्रह का। यह लोग जनता को राज काज में हिस्सा नहीं लेने देना चाहते।

जो रिपोर्टें हम लोगों के खिलाफ पेश की

नयी है, उस में परोक्ष रूप में कहा गया है कि हम लोग हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिये पागलपना दिखावा रहे हैं, जिस से हिन्दी का अनिष्ट ही हो रहा है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं हिन्दी के लिये पागल नहीं हूँ। मैं तमिल, तलुगू, असमिया, बंगला और सभी देशी भाषाओं को अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित देखना चाहता हूँ। इन सभी देशी भाषाओं के मार्ग में एक ही रुकावट है, और वह है अंग्रेजी। अंग्रेजी को सार्वजनिक और राजकीय क्षेत्रों से हटाने की कोशिश में ज़रूर कर रहा हूँ और वह भी संविधान की मंशा के मुताबिक ही, उस के खिलाफ नहीं। गांधी जी ने अपने रचनात्मक प्रोग्राम में एक कार्यक्रम राष्ट्र भाषा प्रचार का भी रक्खा था और दूसरा स्वदेशी प्रचार का भी। राष्ट्र निर्माण के लिये ये कार्यक्रम क्यों रक्खे गये थे? क्योंकि सांस्कृतिक आर्थिक और नैतिक दृष्टि से देश की बहुसंख्यक जनता को बलशाली बनाना चाहते थे और उन में आत्मशक्ति और आत्म विश्वास भरना चाहते थे। वे देश के अल्पसंख्यक गिरोह के सर्वस्व को खत्म कर सम्पूर्ण राष्ट्र को बलशाली बनाना चाहते थे। गांधी जी के इसी आन्दोलन का बचा खुचा प्रभाव था कि किसी तरह इस देश की किसी एक भाषा को आफिशल लैंग्वेज का पद मिल सका। जैसे जैसे वह प्रभाव क्षीण होता जा रहा है, वैसे वैसे अंग्रेजी को कायम रखने की कोशिश बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी को बनाये रखने की कोशिश भारतीय जन क्रांति के सिलसिले में विद्वासघात है। जिन लोगों ने देश को आजाद करने में हिस्सा नहीं लिया है या ऐसे लोग जिन्होंने भूतकाल में क्रांति में हिस्सा लिया, लेकिन सत्ता हथियाने के बाद अब जनक्रांति से घबराने लगे हैं, ऐसे लोगों के लिये अंग्रेजी को नहीं पदच्युत होने देना, उन के लिये निजी स्वार्थ की बात है। लेकिन आम जनता के लिये अंग्रेजी का महत्वपूर्ण क्षेत्र से खात्मा जीवन मरण का प्रश्न है। आज देश में जो जीवन संघर्ष चल रहा है, उस में अंग्रेजी बहुसंख्यक गिरोह के सफल सघर्ष में बहुत बड़ी बाधक है और अल्प संख्यक

शोषक गिरोह की बहुत बड़ी मित्र है। जन-प्रतिनिधि होने के नाते, मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि महत्वपूर्ण क्षेत्र में अंग्रेजी को टिकामे रखने की प्रवृत्ति का मैं षट कर मुकाबला करूँ। सार्वजनिक क्षेत्र से अंग्रेजी का खात्मा ही, बहुसंख्यक कमजोर और गूगी जनता को, वाणी प्रदान कर सकता है।

मुझे उस समय तरस आता है जब इस सदन में भी देशी भाषा जानने वाला प्रतिनिधि इस सदन की कार्यवाही को समझ नहीं पाता है और खरटा अंग्रेजी बोलने वालों दम्भ से इतराता है। देश में कौसी और किस हद तक कुश्चि पैदा हो गयी है? भारतीय लोक सभा ऐसा नहीं मालूम होता है कि भारतीय है। यह तो विलायती या अमरीका लोक सभा का दृश्य उपस्थित करती है। इस सदन में मेरा आग्रह है कि वह देशहित और देश की बहुसंख्यक जनता का हित सामने रख कर ही संबंधित संविधान की धारा एवं नियम तथा हम लोगों के सदन त्याग कार्य पर विचार करे।

जनतंत्र में तीव्र मतभेद होने पर सदन त्याग एक ऐसी परम्परा है जो सर्वमान्य और सर्वसम्मत है। इस लिये लोक सभा की कार्य पद्धति में साफ तौर से इस का जिक्र भी नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री उटिया जी भी चाहें तो कुछ कह सकते हैं।

श्री उटिया (शहडोल): अध्यक्ष महोदय, मैं ने २७ फरवरी को समिति के सामने जो ब्यान दिया है उस के अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि न उस वकत राष्ट्रपति का अपमान करने की मेरी मंशा थी और न मेरा कोई इरादा ही था।

श्री रामेश्वरानन्द :

“पथेमां वाचं कल्याणीभावदानि जनेभ्यः
ब्रह्म राज्यन्याभ्यां शूद्राया चायर्वायच स्वाय च”

[श्री रामेश्वरानन्द]

अध्यक्ष महोदय यदि हंसा जायेगा तो मैं समझता हूँ कि यह एक अपमान वाला मामला चल रहा है, सम्भव है दूसरा भी शुरू हो जाय

अध्यक्ष महोदय : आप अगर मेरी तरफ ध्यान रखें और किसी का हंसते न देखें . .

* श्री रामेश्वरानन्द : मेरे लिये दूसरो तरफ देखने का प्रयोजन ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल न देखिये दूसरी तरफ ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैंने पिछले मास में १८ तारीख को राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय खड़े हो कर उन से कहा था कि आप राष्ट्र के पिता तुल्य हैं महामहिम राष्ट्रपति जी, आप को हिन्दी में बोलना चाहिये यदि आप हिन्दी न बोल सकें तो आप को संस्कृत आती है, आप संस्कृत में बोलिये। अगर संस्कृत नहीं आती तो आप अपने प्रदेश की भाषा में बोलें इतने के पश्चात् उन्होंने मुझ संकेत किया कि मैं इसके बोलने में असमर्थ हूँ, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं उनके संकेत को मान कर वहां बैठा रहा। किन्तु मेरे इस कृत्य को भी राष्ट्रपति का अपमान समझा जा रहा है। मैं नहीं समझता कि मैं ने किस तरह से अपमान किया है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति तो हमारे देश के सब से बड़े व्यक्ति हैं, उनके अपमान का तो प्रश्न ही क्या हो सकता है, मैं तो किसी सामान्य व्यक्ति ही क्या किसी पशु पक्षी तक का अपमान नहीं करना चाहता। इसलिए मेरे लिए कोई कारण नहीं था कि मैं राष्ट्रपति महोदय का अपमान करता। और अगर मेरी किसी बात से या मेरे अपने चरित्र से राष्ट्रपति का या सदन के किसी भी सदस्य का अपमान होता है तो मैं अपने आपको उनके सामने उपस्थित करने को प्रस्तुत हूँ कि वे मुझे क्षमा करना चाहें तो क्षमा कर दें और नहीं तो दंड देना चाहते हैं तो दंड दे दें। मैं उसे सह्यं

स्वीकार कर लूंगा। हमारे तो प्राचीन विधानों में यह आता है कि वाणी के चार दोष हैं :

अनृत, पुरुष, सूचन और असम्बद्ध

अर्थान मिथ्या भाषण करना, कठोर बोलना, चुगली करना और प्रकरण को तोड़ कर ही बोलना। हमारे प्राचीन साहित्य में यह लिखा है कि इस प्रकार बोलना अवैधानिक चीज है, ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं ने अपने प्राचीन साहित्य को पढ़ा है और उसके साथ ही अपने वर्तमान संविधान को भी पढ़ा है। हमारे वर्तमान संविधान में एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पर कही गयी है और मैं उसको सदन को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। इस संविधान के भाग ५ अनुच्छेद १०५ में कहा गया है :

“इस संविधान के उपबन्धों के तथा संसद की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक् स्वातंत्र्य होगा।”

मैं ने राष्ट्रपति के घर जा कर तो कुछ नहीं कहा। जहां दोनों सदनों की बैठक लगी हुई थी उस जगह मैं बोला था। ऐसा करने से मैं किसी प्रकार से दोषी नहीं बनता।

इसके उपरान्त एक समिति गठित की गयी है। उसके लिए निवेदन करूंगा कि अनुच्छेद १०५ के दूसरे खंड को देखा जाए जिसमें लिखा है :

“संसद में या उस की किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिए हुए किसी मत के विषय में संसद के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाही न चल सकेगी . .”

मैं नहीं समझता कि यह जो हमारे लिए ७ सदस्यों की न्याय समिति बनायी गयी है यह इस संविधान की धारा के आधार पर बन भी

सकती है। मेरा अपना विचार है कि इस धारा के रहते यह कमेटी नहीं बन सकती। मैं ने केवल वाक् स्वातंत्र्य का प्रयोग किया है। कोई कठोर भाषण नहीं किया, कोई और बात नहीं कही। वाक् स्वातंत्र्य के सम्बन्ध में आप जब बाहर के किसी न्यायालय में मामला नहीं चला सकते तो अन्दर कोई न्यायालयी समिति बना कर हमको दोषी ठहरा कर दंड दें तो यह बात तो नहीं बनती इस संविधान के होते हुए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जिसको अन्य सदस्यों ने भी कहा है इस और मैं आपका विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ। संविधान में लिखा है कि :

“संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी”

मैं पूछना चाहता हूँ कि इस दिशा में सत्ता प्राप्त पार्टी ने कितना यत्न किया है? हमको स्वतंत्र हुए १६ वर्ष हो रहे हैं, इस दिशा में शासन ने कितना प्रयत्न किया है इसका पता तो आपको उसके काम से लगेगा।

यह सही है कि प्रजातंत्र में बहुमत के सामने सिर झुकाना पड़ता है। परन्तु मैं यह नहीं मानता कि बहुमत जो कुछ कहता है वही न्याय है। कभी कभी बहुमत सच्चाई से दूर भी चला जाता है। आप कह सकते हैं कि आज बहुमत का राज्य है और आप भी उसके आधार पर चुन कर आए हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं बहुमत के आ पर चुन कर आया हूँ और मुझे इसी कारण संविधान में वाक् स्वातंत्र्य का अधिकार मिला हुआ है। हमारे राष्ट्रपति भी चुन कर आए हैं और उनके चुने हुए होने के नाते ही हमने उनको राष्ट्रपति स्वीकार किया है। उनमें कोई ऐसी विशेषताएं नहीं आ गयी हैं कि हम उनके सामने बोलें ही नहीं। मुझे तो यह मुन कर आश्चर्य होता है कि लोग मुझे कहते हैं कि आपको उनके सामने नहीं बोलना चाहिए था। मैं कहता हूँ कि अगर मैं उनके सामने न बोलूँ तो क्या उनके चौकीदार या उनके माली के सामने बोलूँ। राष्ट्रपति

महोदय तो भाषण करते हैं और मैं उनके सामने न बोलूँ तो किसके सामने बोलूँ। इसका मतलब क्या है। मेरे दो प्लेटफार्म नहीं हैं, मेरा एक ही प्लेटफार्म है और छोटे से लेकर बड़े तक मेरे सामने समान हैं और मैं सब के सामने अपनी बात कह सकता हूँ। ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ में सत्ता होती है कि वे उनके सामने नहीं बोलते और छोटे मोटों के सामने बोल देते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि मैं भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं डरता हूँ। मैं भगवान से डरता हूँ और अपने प्रत्येक कृत्य के सम्बन्ध में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ से कोई गलत काम न हो जाए।

मैं तो कहना चाहूंगा कि स्वयं राष्ट्रपति महोदय ने हमारे विधान का उल्लंघन किया है। विधान में लिखा है कि :

“सब की राजभाषा हिन्दी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद खंड २ में यह अवश्य लिखा है कि संविधान के प्रारम्भ में पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए वह पहले से प्रयोग की जाती थी। परन्तु उसके आगे लिखा है :

“राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय से प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा”

इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है। इस १५ वर्ष की अवधि में भी राष्ट्रपति महोदय चाहें तो किसी विभाग के लिए या सब विभागों के लिए हिन्दी कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद जो कि इस समय दिवंगत

[श्री रामेश्वरानन्द]

हो चुके हैं, उनकी यह प्रथा थी कि वह पहले अपना भाषण हिन्दी में पढ़ने थे उसके पश्चात् वह अंग्रेजी में भी पढ़ा जाता था। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति ने हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा चालू की गयी पद्धति को त्याग कर अंग्रेजी में अपना भाषण पढ़ने का साहस क्यों किया। मैं समझता हूँ कि ऐसा करके वे हमारे प्रधान मंत्री को इस घोषणा को चरितार्थ करना चाहते हैं कि १५ वर्षों के पश्चात् भी हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी सखी भाषा के रूप में रह सकेगी, और क्यों न दोनों सदनों की इस बैठक में ही इसका श्रीगणेश कर दिया जाए जिससे कि जो कुछ होना है आज हो जाए और इसको आगे के लिए क्यों छोड़ा जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे ऊपर डंडे के जोर से अंग्रेजी लादी जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस सभी भाषा वाले प्रस्ताव को सदन में लाया गया तो मैं उसका विरोध करने में अपना सब कुछ बलिदान करने को उद्यत रहूँगा। मेरा तो अपना ख्याल है कि इस समय हमको देश के हर व्यक्ति को साथ ले कर चलना है, और व्यक्तियों को ही नहीं जब कि हमको जड़ वस्तुओं को साथ ले कर चलना है ऐसी घोषणा करना उचित नहीं कि अंग्रेजी को सखी भाषा के रूप में भी रखा जाएगा। इस समय तो हमें चीन से निबटना है। इस समय प्रधान मंत्री जी को यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि हम हिन्दी वालों से निबट लेंगे। चीन से पहले निबट लेने के बाद इसके लिए बहुत समय रहेगा। ऐसी घोषणा करने का अर्थ इस समय जो देश में ४८ प्रतिशत हिन्दी भाषा भाषी हैं उनके जले पर नमक छिड़कने के समान होगा।

कहा जाता है कि हमने दक्षिण के लोगों के सामने वायदा क्रिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि हमारे यहां प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में प्रजा की राय से चलना होता है। अगर प्रजा इस चीज का विरोध करती है तो आपको उसे मानना चाहिए न कि प्रजा को

डंडे के जोर से अपनी बात मनवानी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि देश में प्रजातंत्र नहीं है बल्कि सामंतशाही है। हमने एक सामन्तशाही को खत्म किया है लेकिन अब अपने ही लोगों की सामन्तशाही हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अंग्रेजी से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेकों बार जेल भुगती हूँ। मैं हमारे प्रधान मंत्री जो देहरादून की जेल में ए० क्लास में रहा करते थे, मैं और मेरे अन्य साथी साथ ही सी० क्लास में रहा करते थे। देहरादून के जेल के वह दिन मुझे याद हैं। जेल के खटमलों को मैं भूला नहीं हूँ। हमारे प्रधान मंत्री जी का भोजन बनाने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप इस चीज पर आइये जिस पर कि चर्चा हो रही है।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं तो आप का ध्यान दिला रहा था कि शायद आप समझते होंगे कि यह गांधी टोपी पहनने वाले लोग ही जेल गये हैं, सो ऐसी बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमने इस देश में स्वराज्य और स्वशासन की स्थापना के लिए कोई कुर्बानी नहीं की, सो बात नहीं है। आज देश का शासन जिन के हाथों में आया है और जो अंग्रेजी को चलाते रहना चाहते हैं, जो अंग्रेजों के वक्त में सर होते थे, आज वह हमारे शासन के अध्यक्ष बने हैं। और वह हाथ में उस डंडे को ले कर जोकि सर के वक्त होता था अब उस से हमारे पैरों को पीटना चाहते हैं तो मैं इसे सहन नहीं कर सकूँगा। मैं तो आप को कहना चाहता हूँ कि हम खाली दक्षिण के बांगों को ही नहीं वरन् अपने सब साथियों को ले कर चलना चाहते हैं

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर आप से विनय करूँगा कि जो बातें हर एक ने काफ़ी कह ली हैं आप उन को छोड़ कर और कुछ

कहना चाहते हों तो कह लीजिए । बार बार उन्हीं बातों को दोहराते चले जाना उचित नहीं है ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और ही कहूंगा । यह ठीक बात है कि जब आप इस गद्दी पर बैठे हैं तो हम सब को आप की बात माननी चाहिए लेकिन जो हमारे दुःख की बात हो उसे तो आप को सुन ही लेना चाहिए । यह तो हो सकता है कि कुछ बातें जो मैं कह रहा हूँ पहले भी की गई हों लेकिन मैं उस के आगे जो शब्द कहना चाहता हूँ उसे तो सुन लेना चाहिए । इसलिए मैं आप से प्रार्थना करता हूँ मुझे आप बीच में न टोकें ।

मैं आप के सामने कह रहा था कि दक्षिण में चलिये, चाहे बंगाल में चलिये, मैं वहाँ जनता में पहुँच कर हिन्दी में भाषण दूंगा और मेरे देश के प्रधान मंत्री या श्री लाल बहादुर शास्त्री देहातों में चल कर इंगलिश में भाषण दे दें और उस के बाद वहाँ की जनता की राय यदि ले ली जाय कि वे दक्षिणी भाई, बंगाली अथवा गुजराती भाई मेरे हिन्दी के भाषण को समझते हैं या उन के इंगलिश भाषण को, तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं होगी । अगर इस का फँसला जनता पर छोड़ दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी । वास्तविकता यह है कि आप की इस इंगलिश भाषा को २ प्रतिशत या ३ प्रतिशत से ज्यादा लोग समझते नहीं हैं । मेरे देश के लिए यह इंगलिश भाषा, इस प्रकार की विघातक भाषा को यदि बनाये रखना था तो जिन की यह बोली है उन को भी क्यों धक्का दिया ? उन को भी आप बिठाये रहते । लेकिन यदि आप ने इस देश में अंग्रेजों को निकाल दिया तो फिर उन की भाषा को भी उन के साथ जाना चाहिए ।

आज हमारे देश के बालकों को जब यह विदेशी भाषा अर्थात् अंग्रेजी पढ़ाई जाता है तो मेरे देश का बालक यह समझ नहीं

पाता कि आखिर यह अंग्रेजी कहां से उन के सामने आई है ? उस के लिए इस समस्या को समझ पाना कठिन हो जाता है ? मेरे देश के बालकों को मातृभाषा सीखनी पड़ती है चाहे वह बंगाली हो, गुजराती हो या मराठी हो और फिर इंगलिश . . .

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी चाहते हैं कि मैं उन को बीच में न टोकूँ, मैं खुद भी उन को टोकना नहीं चाहता हूँ और मैं उन को सुनना चाहता हूँ मगर आज जो बात सामने पेश है अगर वे उसी पर रहें तो बेहतर होगा । लेकिन वह उस पर ना आ कर . . .

श्री रामेश्वरानन्द : मैं उसी के सम्बन्ध में कहने चला था वैसे अगर आप मुझे आगे नहीं बोलने देना चाहते तो आप को पूरा अधिकार है लेकिन मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप मेरी प्रार्थना सुन लें, मैं अधिक देर तक नहीं चल्ूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, मैं आप को टोकने के लिए मजबूर हो जाता हूँ वैसे मैं आप को सुनना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि यह संसद् भी आप को सुने । मैं आप को टोक कर बंद नहीं करना चाहता लेकिन मेरी सुविधा यह है कि जो बात सामने पेश है उस पर आप न आ कर और और बातें कहते जा रहे हैं । बेहतर हो कि आप उस पर बोलें ।

श्री रामेश्वरानन्द : अगर आप ने इतना मुझे टोका न होना तो इतनी देर में तो मैं शायद समाप्त कर देता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने जितना टोका है उस से दुगुना समय मैं आप को देता हूँ आप अपनी बात समाप्त कर लीजिये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह कह रहा था कि हमारे देश के नेता जिस इंगलिश भाषा को हम पर और इस देश के बालकों के ऊपर लादना चाहते हैं, वह अस्वाभाविक

श्री रामेश्वरानन्द]

क्योंकि मेरे देश के बालक पहले अपनी प्रान्तीय भाषा पढ़ते हैं फिर स्कूलों में जा कर उन को गिटपिट पढ़ाई जाती है। भाषा बह आती है जो उस की मातृभाषा होती है। इस स्वाभाविक दृष्टि से जहाँ मेरे देश के लिए इंगलिश भाषा को बच्चों को पढ़ाया जाना लज्जाजनक है जिन के कि हम कभी गुलाम रहे हैं, उन की भाषा हम पढ़ते ही रहें, वहाँ मेरे देश के बालकों के उत्थान के लिए भी यह भाषा उपयोगी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम आप के पूरे साथ हैं लेकिन इस तरीके से इस भाषा को लाया गया और हम से बिंबकुल कोई महयोग नहीं रक्खा गया तो मैं आप को कहना चाहूंगा कि इस देश की क्या स्थिति बनेगी। इस का तो उत्तरदायित्व सारा हमारे देश के शासकों पर है। मैं कहना चाहूंगा कि हम को कहा जाता है कि हम हिन्दी लादना चाहते हैं तो हम इसे क्यों लादना चाहेंगे? हमें तो पूज्य स्वामी दयानन्द मरम्बती महाराज ने अपनी पवित्र पुस्तक सत्यार्थप्रकाश द्वारा यह आदेश दिया है कि जब बालक पांच वर्ष का हो तो उसे देवनागरी लिपि पढ़ाई जाय। अब आप ही बतलायें कि हम किस प्रकार से अपनी धार्मिक चीजों को स्थिर रख सकेंगे? इस विधान के आधार पर या परम्पराओं के आधार पर आप कहते हैं कि हम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए तो मैं कहना चाहूंगा कि हम प्राचीन परम्पराओं को कैसे भूल जायें और क्यों भूलें? वहाँ तो लिखा हुआ है :—

“निन्दन्तु नीतिनिपुणः यदिवास्तुबन्तु
लक्ष्मी समाविस्तु गच्छन्तु वाय-
शेष्टम्, अद्यैववामरणम् अस्तु
युगान्तरवा न्यायातपथ प्रविच-
लन्ति न धीरा ।”

अर्थात् जो न्याय का मार्ग है उस को धीरे लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

अब जहाँ तक पालिटिक्स का सवाल है तो यह सब कुछ पालिटिक्स है, खाना, पीना भी पालिटिक्स है। आप पालिटिक्स को संकुचित नहीं बनायेंगे। अब यह कहना कि हम चुप हो कर बैठ जायें तो यह कैसे संभव हो सकता है? हमारे वहाँ तो इस के लिए साफ लिखा हुआ है कि जो लोग इस प्रकार से चुप बैठ रह जायें, अन्याय और अनर्थ उन के सामने होता रहे और वह उस के विरुद्ध कुछ भी न बोलें तो ऐसे लोगों को मरे के समान समझना चाहिए। हम एक ओर तो यह विधान पढ़ते हैं और एक ओर हम को यह पढ़ाया जाता है कि बोलो मत, तुम्हें चुप रहना चाहिये, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। पूज्य स्वामी दयानन्द महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि चाहे अन्यायी राजा चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान और गुणवान क्यों न हो, उस का विनाश, उस की अवनति और उस का अप्रियाचरण सदा किया करें और धर्मात्मा चाहे कितना ही अनाथ, निर्गुण और निबल क्यों न हो, उन की उन्नति और उत्थान का सदा यत्न किया करें। उन का प्रियाचरण सदा किया करें। उस के करने में चाहे कितना ही दारुण दुःख क्यों न पहुँचे और उस प्रयत्न में चाहे प्राणों में भी वंचित क्यों न होना पड़े लेकिन अनर्थ और अन्याय के खिलाफ सदा मनुष्य को लड़ना चाहिए।

जब हम अंग्रेज के वक्त लड़ते थे तब हमें ठीक समझा जाता था। अंग्रेजों के वक्त में जब हम जेल काटते थे तब ठीक था। ऐसे शासन के लिए सत्यार्थप्रकाश के उन हिन्दी शब्दों में कितना सुन्दर लिखा है। विदेशी राजा चाहे माता, पिता सदृश पालना करने वाला हो लेकिन उस के विनाश का सदा यत्न किया करें। अपना राज्य सर्वोपरि होता है। हम ने इस धर्म के आधार पर इस शासन के लिए सब कुछ किया है और जब भी हम पूरा करते रहेंगे। लेकिन जहाँ हम से यह कहा जाता है कि तुम को इस समय

देखभाल कर चलना पड़ेगा, देश संकट में फंसा हुआ है, मैं शासक वर्ग से भी कहूंगा कि वह अपनी ओर से भी थोड़ा सा ध्यान दें और वह देखभाल कर चलें। उन के इस कृत्य के द्वारा कहीं ऐसी बात तो नहीं हो जाती है, कोई ऐसी बात तो नहीं आ जाती है जिससे देश के बहुसंख्यक वर्ग का, जिसका कि आप को सहयोग लेना है, वह आप के विरोध में न चला जाय।

अध्यक्ष महोदय : अब तो स्वामी जी को खत्म करना चाहिये। उन्होंने ने तो कहा था कि जितनी देर मैं ने उन को टोकने में लगाई है, उतनी देर में वे खत्म कर देते। लेकिन अब तो वे काफ़ी उस से ज्यादा बोल चुके हैं, इसलिए अब तो उन्हें बन्द ही करना चाहिए।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं केवल पांच मिनट और चाहूंगा लेकिन अगर आप की यही इच्छा है तो मैं बन्द कर देता हूँ और मैं अपने स्थान पर बैठ जाता हूँ।

Mr. Speaker: This is for discussion now. Shri H. N. Mukerjee.

Shri Narendra Singh Mahida: On a point of order.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): Before the discussion commences, I wish to raise a preliminary matter. The detailed defence given by Shri Yadav raises question of far reaching constitutional consequence and questions of parliamentary conventions. I think it is only fair that we study this matter and that we have the defence that has been given in respect of the penalties proposed by the Committee, which in Indian legal interpretation we call the second opportunity. Before we can decide on this matter, we should have the defence which has been put forth in the form of a written statement. That should be made available to us both in English and in Hindi so that in our deliberations we would have taken account of the defence that has been given.

Mr. Speaker: Is there anything that was not said in their statement before the Committee . . . (Interruptions.)

Dr. L. M. Singhvi: I am saying this in respect of the penalty proposed. (Interruptions.)

Shri Narendra Singh Mahida: Sir, on a point of order.

Mr. Speaker: The hon. Member would realise that all that had been distributed to the Members. The penalty was there.

Dr. L. M. Singhvi: The reports are available but they do not contain this part of the defence in respect of the penalty proposed. You will realise that in the Indian law we have what we call two opportunities. The first is when a person is charged; the other when a penalty has been proposed.

Mr. Speaker: One opportunity was given to them before the Committee. The second one was given today before this House. We are discussing it. Shri Mukerjee.

Shri Narendra Singh Mahida: Sir, on a point of order. It will be a bad precedent for us to allow those hon. Members whom you are going to reprimand to sit here, when we discuss them. They are our colleagues, even if they do not belong to our own group. If they are wrong, we cannot say that in their presence for we fear we would be harming our personal relations. I think they should be requested to leave the House for a while so that we can have a free discussion . . . (Interruptions.)

Mr. Speaker: Now that the House has taken a decision just now, I think we need not press it.

There is one request that I should make. We had to give an opportunity to those hon. Members so that they may explain their position in detail. They have done it. The other hon. Members who wish to participate must be very brief.

Shri H. N. Mukerjee: Sir, I shall be very brief. But before I go into the points I wish to make, I would like very much to submit to you that we are discussing a matter which is something which the Leader of the House should be present to hear. I quite understand that the hour has passed by as the statements were being made and the Prime Minister possibly has some very serious appointments which he could not avoid. But this is a subject on which I think the Prime Minister should give his opinion after having heard the Members of this House. I suggest this because my feeling is that after having heard the statements which we have already listened to, possibly we could arrive at an agreed understanding which may differ somewhat from the report of the Committee. My personal feeling is that, having heard what we have heard, possibly the purposes of dignity and all that kind of thing would be completely satisfied if we only reiterate the disapproval which had already been expressed on the floor of the House, of the conduct of those Members under whatever provocation, by leaving the Central Hall when the President was addressing the Joint Session of Both Houses of Parliament. This is the suggestion which I was going to make. But I was hoping that if the Leader of the House was present and if, after he had heard other Members of this House, he might have agreed to this suggestion and it would have been extremely graceful if it had come from him as a sort of an amendment. Because, after all you will have to accept an amendment which is now barred, so to speak, so far as time is concerned. If it had come from him as Leader of the House, it would have been a very graceful proceeding.

Mr. Speaker: Let us proceed. I hope he would be here.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Singh): He will be here.

Shri H. N. Mukerjee: In the beginning, I have to give an explanation. In so far as you were good enough to appoint me as a Member of the Committee. I did attend the preliminary meetings of the Committee and I had hoped that the Committee would be able to complete its work by the 2nd March, which was the time target given in the beginning. I had to leave on the 3rd March, which is why I was not present in the concluding meetings of the Committee and therefore, what I had done was to communicate my views to the Chairman of the Committee, which, I am told, he was good enough to place before the Committee. But I was not able to persuade my colleagues on the Committee to my point of view in this regard. My point of view is, what I have already stated, what I have requested the Leader of the House to move: that the purposes of dignity of Parliament would be completely satisfied if we are content only with reiterating our disapproval of the conduct of those Members who, under whatever provocations had left the House, when the President was addressing both Houses of Parliament. I say so because Members belonging to every Party in this House and also independent Members of this House on that very day had expressed themselves strongly and unequivocally. Now, we are trying to flog a horse which has already been completely beaten up and the result is that we are not only prolonging the proceedings; we are also permitting loopholes through which certain observations in regard to the President might also be made, might almost necessarily have to be made. I do not like this kind of thing at all. My criterion is: Is the recommendation which is placed before the House by the Deputy-Speaker going to help the cause of the dignity of Parliament? Are we or are we not stretching the arm of privilege a little too far? Are we not trying to set up precedents which would not perhaps work very effectively in the future? If there is anything I hate, it is exhibitionism in politics and elsewhere. If in order to punish ex-

hibitionism we do something which makes exhibitionism recoil on ourselves, that is surely not a very wise proceeding. I feel also that on many occasions a little humour which you have in plenty would help a great deal and a sense of proportion which I fear most of us have not got would help even more. The result is that things that would be said and laughed out of court are given an importance which is pompous rather than real. I do not understand why we take recourse to this sort of thing and in the process what happens is that the country gets an impression and the Parliament gets an impression that there is almost a school-masterish atmosphere in the House, that Members of Parliament have to be treated like school boys who have to say: "peccavi", I have sinned; and have to do it in a rather spectacular fashion, have to go out of the House and come back again to receive the reprimand and that sort of thing. All this creates unnecessary complications which do not help parliamentary propriety to develop in the way that it should.

Again, this question is often mentioned about following the precedents of the British Parliament. There cannot be any exact parallelism between the procedure here and that which is followed in Britain in connection with the King or Queen addressing the UK Parliament. Genuflection is not our cup of tea. We do not have to bend our knees before whoever it is. The American President, for instance, behaves in a manner and is treated by his compatriots in a manner which is very healthy; we can learn from that sort of thing also. We are not the same kind of people as the Americans; but we need not make a virtue of being sanctimonious. There is no need to exaggerate the idea of ceremonial; we do not actually do so. In the British House of Commons, I read in books a long time back—I do not know if they have changed that practice—that when the royal address is discussed, the message of thanks to the King or Queen is discussed in the House, the two Members who propose

and second the motion have to put on a particular kind of dress a court dress of some sort, not just the morning coat or that sort of thing but a peculiar kind of costume. And they come and address the House. They have such costumes because they have a certain kind of feudal tradition which they have tried to adapt in their own way to modern conditions. It is not necessary for us to do so.

As regards our Presidents the ex-President and the present President, we have had very unique personalities to hold that chair. As far as the present President is concerned, there is no question about him. All our friends here have spoken today in unequivocal terms about their respect for the personality of the President, who is a unique individual. So many of us can claim that we have known our present President personally. I personally can even claim the pride of having been for a long time the recipient of his affection. But that is no reason why we should make a fetish of whatever is done when the President is there. I do not suggest for a moment that there should be the slightest deviation from dignified behaviour, particularly when the President symbolises the unity of the State in addressing both Houses of Parliament. On that day when our friends walked out, we all felt very badly about it. On behalf of our party our leader expressed himself and unequivocally condemned the action that had taken place. So, as far as that is concerned there is no reason for us to have and doubt in our minds that any Member of this House, to whichever party he might belong, wanted to malign the President, to bring down the dignity either of Parliament or of the State, and therefore, the steps which are recommended do not seem to me to be at all in order.

14 hrs.

Also, in regard to the Members of the Socialist Party in this House, I have felt very strikingly at variance

[Shri H. N. Mukerjee]

on many occasions, but I know, at the same time, that they have a footing, a real popular footing in certain parts of the country, and they are devoted, and they have a passion—God bless them for that passion—in the cause of Hindi and the other Indian languages. It is a political issue. It is a matter of fundamental importance to the future of the country. Certain things which were said in the speeches today in relation to the problem of the language of our country are extremely important. They have a passion for it. They have almost developed a psychological fixation about it. That fixation sometimes makes them go in a direction which leads them to do the kind of thing which unfortunately they did on the 18th of last month. Let us not magnify a particular incident in isolation, and let us not try to punish them in the way of a reprimand or whatever is recommended here. But let us try to understand the situation more sympathetically, more imaginatively, more in tune with the spirit of the Constitution and with the desires of the people of our country.

That is why I feel that while everybody is unanimous that what happened on that day did deviate from the dignity which is incumbent upon everybody to try to practise, while that is absolutely a matter on which there is no disagreement whatever, there is no need now, at this stage, to go into detail over it. We might just as well record the report of the Committee, and we might be content with the reiteration, if we choose to make it, of the disapproval of the conduct of those Members who have behaved in the way they did on the 18th of last month.

I suggest it with all humility, particularly to the Leader of the House who is not here. I do hope that what I tried to say will be conveyed to him. I do not know if in his own room he has got a contraption which enables him to hear what I am saying. I do not know. I have no idea where he

is. But I do hope what I say is conveyed to him in one way or the other. There will be observations, I am sure, to be made by my other hon. friends which also the Prime Minister should be enabled to hear, because, if it comes from the Prime Minister—I am suggesting it to my hon. friend the Minister of Parliamentary Affairs also, for in the absence of the Prime Minister it devolves upon him, as representative of the ruling party as well as the man in charge for this kind of thing, to do something in this regard—and if it comes from Government side, it will be extremely graceful and it will be effective. If not, I would ask your permission to enable me, in spite of the time-bar, to move an amendment on the lines that I have already suggested.

I do hope a way out is found of this difficulty so that we are not asked to vote on something rather embarrassing,—not personally embarrassing at all—but something which will not help the cause of parliamentary propriety or parliamentary dignity or the future of parliamentary institutions at all. On the contrary, it will put all kinds of hurdle which quite avoidably we are going to put in our way. These are the submissions which I am trying to make.

श्री त्यागी : अध्यक्ष महोदय, जिन भावनाओं से प्रेरित हो कर अभी मेरे मित्र ने भाषण किया है, मैं उन से इतिफाक करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही अहम मसला है। हाउस को यह भी समझ लेना चाहिये कि यहाँ और दूसरी असेम्बली में ऐसे प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। अगर यह ऐसे ही चलता गया तो भारत के अन्दर जो पार्लिमेंटरी प्रणाली है, उस को हानि पहुँचे बगैर नहीं रह सकती है। तब यह आगे चल नहीं सकती है। इस वास्ते इस हाउस का इस बारे में बड़ा अच्छा फैसला होना चाहिये जिस से कि यह मसला हल हो जाये। इस मसले का जरूर नोटिस लिया जाना चाहिए

था। आखिर कुछ भी सही, जिस तरह से विलायत में क्वीन है, उसी तरह से हमारे यहां पर राष्ट्रपति जी हैं और उतनी ही इज्जत हम उन की भी करते हैं। क्वीन को जो हक हासिल होते हैं, वे बर्य की वजह से होते हैं, उस की वजह से वह तख्त पर बैठती है लेकिन हम तो यहां पर राष्ट्रपति जी को अपनी मर्जी से अपने दिल का राजा बनाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जी की इज्जत क्वीन की इज्जत से हजारों गुना बढ़ जाती है, कई गुना हो जाती है और यह इज्जत उन की हमारे दिलों में होनी चाहिये।

ऐसी हालत में उन के सामने इस प्रकार का बितंडा बनाना बहुत बुरा था और सारे हाउस को इस पर अफसोस है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि धान मंत्री जी बैठे हुए थे, वे उठ कर चले गए हैं। मेरी अपील अब श्री जगजीवन राम जी से तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से है कि आप उन को जगह हैं, कुछ पोलिटिकल विज्ञान से भी इस चीज को आप को देखना चाहिये। जो स्थिति इस हाउस की है, जो इज्जत इस हाउस की है, जो इतनी बड़ी डिगनिटी इस हाउस की है, उस को देखते हुए बच्चों की तरह से हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं।

लेकिन एक दिक्कत पड़ती है। मेरे इन मित्रों को चाहिये था कि ये कम अज्र कम हम लोगों को तो आश्वासन दे देते। मेरे मन में जो इज्जत इन मित्रों के प्रति है, वही इज्जत इधर बैठने वाले मित्रों के प्रति भी है। उन के साथ मुझे भी इज्जत मिलती है। आज अगर उन का अपमान होता है, तो मुझे लगता है कि मेरा भी अपमान हो रहा है। मैं अनुभव करता हूँ कि एक का मान दूसरे का मान है। सब का मान और सब का सम्मान बराबर है। मैं उन से अपील करूंगा कि वे कम से कम अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आश्वासन इस प्रकार का दे देते कि हम किसी किस्म के बेजातगी के तरीकों में विश्वास नहीं

करेंगे। अगर मतभेद है तो उस को खुले तौर से कहो। स्वामी जी ने जिद कर दिया जेल-खाने का। उन के साथ भी अगर इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो मेरे मन में मुश्किल पड़ेगी। उन के साथ वैसा बर्ताव होते देख कर मेरे जज्बात को ठेस पहुंचेगी।

मुझे एक आपत्ति भी है। कुछ आदमी हमारे हाउस के नहीं थे। अजबल तो देखना यह था कि दोनों हार्जिसिस की मिली जुली बैठक होती है और उस के लिए कोई नियम बंधे हुए नहीं हैं। उस के नियम बंधे हुए होते तो जरा आसान होता। आइंदा के लिए अगर नियम बना दिये जायें तो अच्छा होगा ताकि इस तरह का व्यवहार अगर कोई करे तो उस के खिलाफ कार्रवाई हो सके। दूसरी दिक्कत यह पड़ती है कि मेरे साथियों के साथ राज्य सभा के भी एक आघ मेम्बर थे। राज्य सभा के मेम्बरों को तो कोई सजा न मिली और हमारे मेम्बरों का अपमान हो जाय, यह जरा बात थोड़ी दिक्कत की है। मेरी राय है कि दोनों ने बराबर की गलती की है। या तो उस सूरत में ज्वाएंट कमेटी बन जाती किसी प्रकार से या फिर ऐसा हो कि राज्य सभा के सदस्यों के साथ भी वही बरताव हो जो हमारे सदन के सदस्यों के साथ हो रहा है

अध्यक्ष महोदय : इस बात की चिन्ता हमें नहीं करना चाहिये। हम जो मुनासिब समझते हैं, वे कर सकते हैं, जो उचित समझें कर सकते हैं।

श्री त्यागी : चूंकि यह मुश्तारिका बंठक थी और मेम्बर पार्लिमेंट के वे भी कहलाते हैं इस वास्ते सब के साथ एक सा बरताव होना चाहिये। उस का भी प्रबन्ध करलेना चाहिये था चीफ विष्टिप साहब को या किसी और तरह से।

इस के अलावा एक चीज रिवाज की भी आ जाती है। मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि कहां का यह रिवाज है, किस किताबके

[श्री त्यागी]

अन्दर है, यह आप बता दें ताकि सदन को कोई गलतफहमी न रहे। रिवाज जो विलायत में है उस को बरतने की यहाँ पर बात है। वहाँ पर एडमानिशन और रेपरीमांड के वास्ते बंधे हुए नियम हैं। यह जो नियम आप ने किया था कि मैम्बर साहिबान चले जाते, यह भी वहाँ का नियम है। जब कभी ऐसा करना होता है तो मैम्बर साहिबान अपना बयान देने के बाद बाहर चले जाते हैं। उस के साथ ही वहाँ यह भी नियम है :

“Admonition: addressed by the Speaker to the offender who, if a Member, stands uncovered in his place; if not a Member, stands uncovered at the Bar attended by the sergeant bearing the mace.

Reprimand: addressed by the Speaker in the same circumstances in cases where the offence committed has been graver.”

उन लोगों को खड़ा होना पड़ता है और नंगे सिर खड़े होना पड़ता है। मैं अदव से अर्ज करूंगा अगर स्वामी रामेश्वरानन्द पर यह नियम बरता जायगा तो ज़रा यह तर्कलाफ़ देह गुज़रेश। अगर स्वामी जी को पगड़ी उतार कर खड़ा करने का नियम बरता जायगा तो यह ठीक नहीं

श्री रामेश्वरानन्द : मैं पगड़ी भी उतार दूंगा लेकिन यह तो देख लिया जाय कि विधान क्या कहता है ? मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे हैरानी है कि त्यागी जी उन चीज़ों में जा रहे हैं जिन का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन का कोई जिक्र यहाँ नहीं आया है। स्वामी जी के नंगे सिर खड़े होने का सवाल पैदा नहीं होता है। खमूसन स्वामी जी का नाम भी उस में नहीं है जिन का रेपरीमांड होना है या जिन को खड़े होना है। अगर उन

बातों को हम लेना शुरू कर दें तो मालूम नहीं

श्री त्यागी : मैं माफी चाहता हूँ। मेरा मंशा यह है कि

अध्यक्ष महोदय : उन बातों को जो है ही नहीं, इस वक़्त लाना ठीक नहीं है।

श्री त्यागी : मुझे अफसोस है। जो हालत वहाँ है, उस की बात मैं कर रहा था और उसी की बाबत मैं कह रहा था। मेरी अर्ज यह है

अध्यक्ष महोदय : रिकमेन्डेशन स्वामी जी के बख़िलाफ़ नहीं है कि उन्हें खड़ा होना पड़ेगा :

श्री त्यागी : बहुत ठीक है, लेकिन और लोगों की बाबत है। मेरे कहने की मंशा . . . !

अध्यक्ष महोदय : उन को सिर नंगा करने के लिये किसी ने नहीं कहा।

श्री त्यागी : उन लोगों के लिये जो नियम बरता जा रहा है उस के हिसाब से नंगे सिर खड़े होने का रिवाज है। वह अनकवर्ड खड़े हों। सिर से हट उतारना पड़ता है। मेरा मंशा यह है, और मैं हाउस की तरफ से अपील करता हूँ कि हमारी इज्जत की रक्षा करने का काम आप के पास है, आप हमारी इज्जत के रक्षक हैं। तो मेम्बरों के साथ जो बरताव आप करेंगे उसी के हिसाब से मेम्बरों की बात चलेगी। यहाँ हर मेम्बर जैसी हरकत करेगा उस के मुकाबले में उसे सजा मिलनी चाहिये। इस में आप का कोई दोष नहीं है। परन्तु मैं समझता हूँ कि इस हाउस की डिगनिटी के खयाल से

घ्राप कोई ऐसा रास्ता निकालें जिस को हाउस भी मान ले और ये मेम्बर लोग भी बड़ी इज्जत के साथ उस को मान लें। मैं इस चीज से इत्फाक करता हूँ, जैसा कि मेरे मित्र श्री मुकर्जी ने कहा कि घ्राप इस मामले को वैसे ही प्रस्ताव द्वारा निपटा दें, वना इस कंट्रोवर्सी का हाउस से बाहर निकलना मेरे खयाल में मुनासिब नहीं होगा। अब यहां हमारे लीडर साहब भी मौजूद हैं मैं उन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस हाउस की फीलिंग प्रेजिडेंट को कान्वे कर दी गई, प्रेजिडेंट की चिट्ठी भी आ गई इस, के बाद अगर कोई तरीका सजा देने का तजवीज किया जाय तो इस से प्रेजिडेंट की इज्जत बढ़ेगी, इस से मैं इत्फाक नहीं करता। हाउस का जरा सा इशारा और राय बहुत काफी है। मैं चाहता हूँ कि कोई प्रस्ताव को पास कर के इसे खत्म किया जाय ताकि यह मामला तय हो जाय।

Shri Surendranath Dwivedy: Mr. Speaker, Sir, in this matter we are more concerned with the conduct of the representatives of the people in the Parliament. I think we are probably digressing from the issue by emphasising on the question of punishment that is suggested in this report. The matter is not what punishment we ourselves could give to our own colleagues, but how we shall conduct ourselves and the restraint that we should put on ourselves, being representatives of the people in this sovereign Parliament.

The people expect a certain code of conduct from all of us. The people have accepted this Constitution to which all of us owe allegiance. People expect that in this country we shall establish certain traditions and conventions, so that there is orderly and constitutional progress. From this point of view alone, we have to consider this question. It is quite correct to say that for joint sittings of the two Houses, there is no rule of procedure, etc. adopted by the House. But here

the matter is, the President has come to address us to discharge his constitutional obligation. I would have really supported my friends who have put us in this position now, if from the letter of the President or anywhere else there was an indication suggesting that he does not want Hindi to be promoted in this country or he has shown any disregard whatsoever to the cause of Hindi. It is the bounden duty of everybody that Hindi should be promoted. Hindi must become the official language of the country. The whole of the country supports this view.

The President has stated in his letter very clearly that it is a matter of convenience. Mr. Yadav said that, the President did not say that he did not know Hindi. But that does not mean that he can address the Joint Sitting in Hindi as clearly as a Hindi-knowing person can do. Therefore, as a matter of convenience, he suggested that the Vice-President would read the address to the joint sitting in Hindi. So, there is no question of any disrespect to the cause of Hindi or to the promotion of Hindi, that is enjoined by the Constitution. From that point of view, I feel and I am sorry to say that this matter has been raised to make political capital out of the whole issue, which does not exist in this country.

My friends have unnecessarily dragged the President. A comparison seems to be made because we follow the British procedure in the House of Commons that the King and the President are at par. It is not so. We have elected the President. We have put him there and it is our duty to see that his dignity and respect are maintained. By doing that, we are actually keeping our own dignity for ourselves. I would appeal to the House that this is not with a view to punish our friends, but with a view to show to the world that we shall conduct ourselves in a proper manner, which is not only the obligation of the Speaker of the House, who is the cus-

[Shri Surendranath Dwivedy].

todian of the dignity of the House, but which is the duty cast upon every Member of this House.

My friends are respecters of the Constitution and they want peaceful progress. They are also advocates of democracy. But they probably forget that by acts like this, by casting aspersions or creating conditions which will undermine the Constitution, they are probably encouraging forces which in this country would be nothing but unruly.

I do not know what is the difference between the recommendation made in this report and what Mr. Mukerjee has said. At least on this occasion he wants us to follow the American presidential system, etc. But that is not the point. We have considered this matter fully. We do not want to give any punishment to our friends. What we say in this report is this that they will be administered a warning. That is what Mr. Mukerjee wants and that is actually contained in this report. The House expressed itself fully on the occasion when this question was discussed and when the committee was formed. The condemnation that was expressed from different sections of this House has been just put in a summary in the recommendation contained in the report. I may tell you—it is no indulgence of secrecy—that when the reprimand was discussed in the committee, I was not very much enamoured of this word. But I was told—the dictionary was consulted and it was found—that “reprimand” means “official rebuke”; nothing less and nothing more. What Mr. Mukerjee wants is, actually if we adopt this report, it will serve the purpose.

Therefore, I would humbly beg of the House that if it was a simple matter of procedure, of course, there was nothing to say. But if we drag on this matter, if we do not tell the country where we stand, it will not be proper, because the House owes it to the people and to the country to

say very clearly regarding the future procedure that we have to follow. I feel that this is a most reasonable report. My appeal to my hon. friends is this. There seems to be a feeling in their minds as if they are at the bar as accused and they are going to be punished, etc. I would appeal to them that if really they want to respect the Constitution, if really they want promotion of Hindi in this country not by imposition by a section of the people, but by 40 crores of people with their consent, they should abide by this and gracefully accept the report that is before the House.

The Prime Minister and Leader of the House (Shri Jawaharlal Nehru): Mr. Speaker, Sir, we are considering an unfortunate and a highly undesirable incident that occurred at the joint session. The first reaction of this House to it was strong disapproval of it and we requested you to appoint a committee consisting of representatives of various parties to consider it. Now, therefore, first of all we are considering a specific matter which took place on that day. Certainly we are considering it by itself, but also with a certain background, not so much the background in this House, but elsewhere, that was happening in other Assemblies too.

Secondly, we are not considering and the question is not before us, of the importance of Hindi. That is a separate matter which, if it comes up and in the shape it comes up, will be considered.

The sole question before us is—it is a highly important one and a vital one—what rules and conventions we should establish for the carrying on of the work of this Parliament with dignity and effectiveness. Nearly everyone present at the joint session was very deeply shocked at what happened. It was for the first time that it happened, and if that was allowed to continue without any strong expression of opinion of this House or

Parliament, it would have been a bad day for our democratic institutions, and Parliament especially. This Parliament is supposed not only to act correctly but lay down certain principles and conventions of decorous behaviour. All the provincial assemblies will no doubt be affected by what we do here and will try to follow that example. It is, therefore, of high importance what we do here.

Now, this was referred to a Committee and the Committee has presented a report. I was not a member of the Committee, but as I read the report it appeared to be a unanimous report. Whether I agree with all that it says or somebody else does not go for enough, we may think otherwise, but I should have thought that if any committee of this House representative of various sections came to a unanimous conclusion after hearing the parties concerned and considering other evidence, there was not much room left for argument in this House.

But there is one thing I must say. When I read, I think, paragraph 28 of the report which refer to any future occurrences of this kind and lay down a certain procedure and a certain punishment if it occurred again, I was first not quite clear in my mind why that should not have been included in the resolution proposed by the hon. Deputy-Speaker. At the same time, I thought that this was a particular matter being considered. We are not considering a matter that might occur later, because that would ultimately depend upon the way it occurs, how bad it is, and it might well be that if it occurs in a particularly bad way the decision of this House would be much severer than the one that we have taken now. It is quite possible. It just depends on how it occurs. Therefore, to limit the judgment of this House to a certain procedure and a certain decision now for a future occasion—well, it might be much worse—would not be right. Therefore, I thought that the resolution that the Deputy-Speaker has

moved was on the whole a right one, making it perfectly clear that this refers to this particular incident and if, unfortunately, in future some such thing or something worse happens it will have to be judged by the House in the circumstances and an adequate decision taken.

I might say, Sir, that this particular matter affected me deeply. It was not—anyhow it will affect me the way of breach of decorum on such a solemn occasion, but it was, as has been pointed out, something that was carefully thought out, premeditated written about. It was not a matter of sudden excitement or temper. That made it much worse. And later, it was, by the persons concerned, justified; and, apparently, possibly—I do not know—it might even have been thought that it would be repeated. That made it worse.

However, what we are considering is the limited question of what we should do today in regard to the report presented by the Committee to the House. The Committee has come to a unanimous conclusion. It may be that some of us, if we had been members of the Committee, might have suggested something more or something less or some variation of it. But the main part of the Committee's report is a very strong disapproval of this. That was in keeping with the expression of views in this House earlier when the Committee was appointed. Then comes the recommendation to the effect that disapproval should be shown to two Members who did not go out, and the others who went out in that particularly, rather, dramatic way should receive a higher degree of reprimand. That, I would submit, is about the least that this House can do. Otherwise, not only will the Committee's report be in effect not accepted,—their views—the Committee of the House unanimously recommending something,—but I think it will be very bad for the future, for this House as well as for parliamentary procedure anywhere in India.

[Shri Jawaharlal Nehru].

I submit, therefore, that we should, in the present instance, adhere to the Committee's report and fully carry out their recommendations, making it quite clear that if in the future any such thing happens or anything in the nature of indecorous behaviour on a solemn occasion occurs, we shall have to consider it then and take such action as the House considers proper. And, in view of the present view of the House as exhibited in this debate and previously, no doubt, if this is repeated, we shall have to take a very serious view of it. But, for the present, I would submit to you, Sir, and to the House, that the least we can do is to accept this and thereby give an indication to this House, to the country and to other assemblies in India that we shall adhere strongly to the behaviour that is expected of such a high assembly as Parliament and other representatives bodies in India. We have to set an example to them, and if we are weakened in this it will be a bad day for Parliament and for our future work. I submit, therefore, that the resolution moved by the Deputy-Speaker should be accepted by us without much argument.

Shri H. N. Mukerjee: Sir, to put the records straight I must say that the Prime Minister did not listen to my speech, it was not his fault. I was a member of the Committee. I told the House a little earlier that I am not a party to the report. I sent in my views. I was not present when the concluding portions of the deliberations were conducted. So I was not a party to it.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur):
Mr. Speaker,.....

Mr. Speaker: Hon. Members should try to be brief now.

Shri U. M. Trivedi: Sir, I certainly always observe your directions, but perhaps on this occasion I may not

be able to do so. This is not an occasion when certain views may be acclaimed by the House and certain views might be deprecated. You were right, Sir, to begin with, when you enjoined upon the House that each one of us here constitutes himself into a court and we hear all that is to be said against or in favour of the motion and then come to a decision one way or the other in a very dispassionate manner. We have heard the views of the various hon. friends here. I have heard with very rapt attention the arguments so very nicely advanced by Shri Yadav. Without any emotion he has expressed before the House the reasons why he acted in a particular manner. Yet, Sir, the whole question that remains for us to see is, whether we follow the British Constitution in this matter or our own Constitution, or the mode of working of the House of Commons or the Rules of Procedure that are obtaining in our House here, the one fact which we cannot forget, that any disrespect even inadvertently shown to our President is a disrespect to the nation.

I personally, and my party, have always reiterated the demand of Hindi. I am second to none in the demand that the country has to proceed for Hindi being the national language. But this is not an occasion for me to dwell upon that demand.

It is quite true that there was justification on the part of Mr. Ram Sewak Yadav when he complained that two of the Members who constituted the Committee did show some bias. But, at the same time, he should also remember that what happened inside the Committee, I cannot disclose here. No bias of whatsoever kind was shown there; the only point for discussion was what should be the conduct of the Members when such a meeting is held. That was the only point for our discussion. But we came to a conclusion unanimously, I

should say. Probably Mr. Mukerjee is right that he was not present then; at one of the meetings I was also not present. But then the consensus of opinion that was formed was that this report, which has been laid before the House, was the only outcome of our deliberations.

One thing which, after hearing the arguments of Mr. Ram Sewak Yadav, I feel is this—of course, there is now no way by which I can express myself in a manner I would like to express myself, as I cannot move an amendment now—but I will make one suggestion. Since the Leader of the House has already expressed himself, I will again submit to him, and to you, Sir, in particular, that after all even when you are imposing punishment upon somebody, let that punishment be so meet and proper that any feeling of animosity that might be reflected therein may be absent. Let justice be done but let it be felt that justice has been done.

The grouse that Mr. Ram Sewak and the other Members have is that they perhaps feel it strongly that this reprimand is to be administered to them. I would therefore suggest, if the House agrees, that so far as the two Members are concerned who have expressed their regret over the incident and who have stated, as they did before the Committee, that they have absolutely no desire to offer any sort of insult or do anything which might mean an insult to the President, let their action be condoned. And so far as the three other gentlemen are concerned, I should say that we should not make much difference between tweedledum and tweedledee, and let us say that it will be enough for us if we disapprove of their action.

With these remarks I conclude.

श्री जशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए आपकी सेवा में खड़ा हुआ हूँ कि इस सम्बन्ध में जो मेरे विचार

हैं, उनको रख सकूँ। मैं एक शास्त्रकार की व्यवस्था को पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूँ :—

सभां वा न प्रवेष्टव्यम्
वक्तव्यं वा समंजसम्
अवुवन् विभ्रुवन्वापि
नरो भवति कित्त्विषी

या तो सभा सदस्य सभा में न आए और अगर सभा में आएँ और सच न बोले तो वह पापी हो जाता है। प्रार्थना करने का अधिकार सब को है, प्रार्थना करना कहीं जुर्म नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी से कांस्टीट्यूशनल राइट्स के अन्दर रहते हुए सच्ची बात उन्होंने की और महामहिम से प्रार्थना की। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग किया और महामहिम से प्रार्थना की कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक वह बोलें। बाप अगर सों रहा हो और सूरज चढ़ आया हो और घाठ बज जायें और बेटा कहे कि पिता जी यह सोने का वक्त नहीं है, उठने का वक्त है तो यह कोई जुर्म नहीं माना जा सकता है। सोलह साल के लम्बे असें में जब हिन्दी नहीं आ सकी हो और अगर कोई सदस्य खड़े हो कर यह कहे कि हिन्दी में बोलियेगा तो संसार की किसी कांस्टीट्यूशन में भी यह जुर्म नहीं है। बड़ी नम्रता के साथ उन लोगों ने अपील की, प्रार्थना की, निवेदन किया, रिक्वेस्ट की और ला को अपने हाथ में नहीं लिया शोर नहीं मचाया, डिसिप्लिन भंग नहीं किया। उनकी प्रार्थना जब नहीं सुनी गई तो वे उठ कर चले गए।

सरकार की तरफ से जो अपराध हुआ वह यह हुआ कि संसार का यह जो कायदा है कि महारानी पहले आती है, बांदा उसके बाद आती है, इसको तोड़ा गया, यहां महारानी बाद में रखी गई और दासी पहले आ गई। हिन्दी भाषा का स्थान महारानी का स्थान है, अंग्रेजी का स्थान बांदा का स्थान है। राष्ट्र की जितनी भी प्रादेशिक भाषायें हैं,

[श्री यशपाल सिंह]

उन सब के लिए हमारे दिलों में सम्मान है, इज्जत है, चाहे वह गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, पंजाबी हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो।

हमारे कांस्टीट्यूशन की सब से बड़ी खूबी यही है कि हमें इसके द्वारा बोलने की आजादी दी गई है और बोलने की आजादी का प्रयोग अगर हम सदन में नहीं करेंगे, राष्ट्रपति जी के सामने नहीं करेंगे, आपके सामने नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? प्रधान मंत्री जी अपनी उदाहरता के लिए प्रसिद्ध हैं। मैं उन से अपील करना चाहता हूँ कि वह इस पर दुबारा सोचें और जिन लोगों ने आज हिन्दी माता की या राष्ट्र की दूसरी भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं की याद दिलाई है, उनको देखें कि वे देश भक्त हैं। वे अपनी दरियादिली के लिए मशहूर हैं। और मैं चाहता हूँ कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें। इन लोगों ने वही बात कही है जो प्रातः वंदनीय लोक मान्य तिलक ने उस वक्त कही थी जबकि उनको सात माल की सजा सुनाई गई थी कि "यद्यपि ज्युरी ने मुझे आज अपराधी ठहराया है, पर मैं निर्दोष हूँ, यह मेरी आत्मा ने बतलाया है।" आज जो उनको सजा दी जा रही है, जो उनको बर्निंग दी जा रही है, वह न दी जाए और मैं प्रधान मंत्री जी से तथा आप से भी अपील करना हूँ कि उनको क्षमा कर दिया जाए। "क्षमा बड़न को चाहिये", वाले उमूल पर हम को अमल करना चाहिये। बड़ों का काम है कि वे क्षमा कर दें। मैं चाहता हूँ कि इस मामले पर ठंडे दिल से गौर किया जाए और उदारता से काम लिया जाए। जो कुछ हुआ है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। आपके साथ मैजोरिटी है, वह वक्त की बात है। पोप के साथ भी मैजोरिटी थी, लूथर के साथ नहीं थी। लेकिन आज संसार लूथर को याद करता है, पोप को याद नहीं करता है। इस मैजोरिटी

के भरोसे अंग्रेज कहा करता था कि जो नब्बे हजार आदमी गांधी जी के साथ जेल गए हैं, वे माइनोरिटी में हैं, बाकी ३५ करोड़ १० लाख हमारे साथ हैं। मैजोरिटी का ख्याल करके, अपनी पाबन्दियों का ख्याल करके और साथ ही साथ देश भक्ति का ख्याल करके आप इस समय व्यवहार करें। यह बात मैं राष्ट्रपति जी के ही शब्दों में आप से कही रहा हूँ। उन्होंने सदन में यह कहा था उनको जो सदस्य वहां बैठे हुए थे कि दूसरों के विचारों के प्रति हमें सहिष्णुता रखनी चाहिये और विरोधी विचारों को हमें बड़ी सहनशीलता के साथ सहन करना चाहिये। उनकी इस बात का आपको भी आदर करना चाहिये। दिव्य पुरुष महात्मा गांधी की भी यहां एक छोटी सी बात मैं कह देना चाहता हूँ। उन्होंने एक हज़ार बार कहा था कि हिन्दी के बिना हिन्दुस्तान का अस्तित्व नहीं रह सकेगा। जिन भाइयों ने हिन्दी के नाम पर, राष्ट्र भाषा के नाम पर या प्रादेशिक भाषाओं के नाम पर अपील की थी, उन्होंने कोई जुमं नहीं किया। आपकी उदारता, आपकी फैंयाजी, आपकी दरियादिली में मुझे पूरा विश्वास है और मैं आशा करता हूँ कि आप मामले को यही खत्म कर देंगे, आगे नहीं ले जायेंगे। लाइक प्रोड्यूसिस लाइक। दुनिया में नेकी से नेकी पैदा होती है। यह एक गोल्डन रूल है। इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस मामले को यही खत्म कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि अब तकरीरों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा तकरीरें हो गई हैं। अब हर एक माननीय सदस्य को दो तीन मिनट में खत्म कर देना चाहिये।

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Mr. Speaker, the House is now sitting as a court, discussing this report and giving its opinion thereon. Therefore,

the matter is to be considered from the point of view of a judge, not from the point of view of any particular sentiments or anything else. What are the questions on which this House is called upon to make up its mind and express its opinion? Firstly, a request to speak in Hindi was made and then there was a walk out. The first question is whether the request made by certain members at the joint session has itself constituted a conduct which was offensive to the joint session or the President. It is one thing to be offensive to the joint session while it was meeting, and it is another thing to be offensive to the President. I would like to make a distinction between these two things and give my opinion point by point on these two things.

So far as the request to the President that he should make his speech in Hindi is concerned, I think nobody can say that that by itself constituted an affront on the part of any Member; neither can it be construed as an offence either to the President or to the House. Some members have stated that the dignity and prestige of the House was concerned and, therefore, the House in a way is insulted. Sentimentally, it might be construed like that but, so far as the legal aspect is concerned, the House was not insulted by that and even the President is not insulted by somebody making a request like that.

A request was made to the President to speak in Hindi and when he did not do so some Members staged a walk out. It is really the walk-out that has to be considered, as to whether it would constitute an offence and, if so, against whom. So far as walk-out is concerned, in the ordinary course it is a method of expressing disapproval of something. So far as the joint session is concerned, this walk-out does not constitute an offence to the dignity of the session. But, so far as the President as such is concerned, the thing stands on a different position, because he was coming there as a matter of obligation imposed upon

him by the Constitution, and he had summoned us to be present there. Secondly, he had also indicated in private correspondence that he was going to speak in English; I do not think we are concerned with the reason for that at this stage. So, when the Members came to the House, they knew that the President was going to speak in English. So, having done their duty, it was their responsibility to see that they did not act in a way which was indecorous to the President. If they did not want to hear his speech in English, they could have remained outside or absent because by making their request in writing that he should speak in Hindi they had done their duty. But to attend the meeting and walk out would amount to expressing their deliberate disapproval against the President himself. To express disapproval of the conduct of the President is in itself, in my opinion, an offence and this House must take notice of that.

In that context, I would say only this. When we have referred this matter to a Committee, we have expressed our disapproval against their conduct. Again, we can repeat it here and by reprimanding them in a formal way the matter should end there. We should not take any more notice of that. If such a thing is repeated like that again, I agree with what the Leader of the House has stated, that should be taken serious notice of, taking into account the circumstances of the case.

Shri Khadilkar (Khed): Mr. Speaker, I fully endorse what the Leader of the House has stated regarding this report. The only thing that I would like to suggest is a little modification regarding the quantum of punishment. He has isolated the issue from the background. There is no doubt about it that their conduct was indecorous, but, at the present time, when language has become a sensitive element in our politics, the conduct is one part and a certain background to that conduct is another

[Shri Khadilkar].

part. So, we should not isolate it so easily. When certain elements behave inside the House like political delinquents, we must apply our mind to the problem, give them an opportunity and then express our full displeasure or disapproval so that in future they would behave in a way which will maintain the dignity of the House. Therefore, I would suggest that on the question of quantum of punishment the purpose of justice would be served if we strongly disapprove of their conduct instead of reprimanding them. With these words, I support the motion.

Mr. Speaker: I cannot give more than two minutes to each hon. Member.

Shri N. Sreekantan Nair: Mr. Speaker, while approving of the views expressed by the Leader of the House and by my friend, Shri Khadilkar, for the same reasons I would say that the punishment should be either very deterrent or should be very very light, because the issue involved is very great. This is going to rake up the entire question of Hindi speaking population Versus non-Hindi speaking population. It is going to disrupt our unity to a very great extent. We people started learning Hindi in our schools some years back. After that, we have not been able to improve our Hindi all these years in spite of our best efforts. If the present trend continues, a citizen of a non-Hindi-speaking State cannot become the President of India at any time, either now or in the future. That is there on one side. On the other side, we have to see that while we try to secure uniformity there is also equality. There cannot be equality between the various States of India as long as certain sections of the people are born and bred up in an area where the mother tongue is Hindi and there are other areas where it is a foreign language and Hindi continues to be the official language. We had greater unity when India was fighting for freedom because at that time each

State had its own language and the common language was English. So, I would submit that sufficient time must be given to the rest of the country, as far as possible, to come up and master Hindi. Instead of that, if we try to impose it earlier as is already being done, it would be doing an injustice to the non-Hindi speaking people. There is already a cry all over India that the non-Hindi-speaking States are being discriminated against.

In the end, I would again say that the punishment should be either deterrent or very light. Therefore, I support the motion regarding reprimand. But, for instance, if I had been in their place, I would not have submitted myself to a reprimand. I would rather have preferred suspension than standing up and taking the reprimand. I do not know what they are going to do.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) :

अध्यक्ष महोदय, इस में कोई सन्देह नहीं कि लोक सभा ने आज के लिये जो कुछ कार्यक्रम सोचे हुए थे उन के सम्बन्ध में, इस कार्रवाई के लम्बे होने से, आप को भी शीघ्रता है और इसी लिये आप ने समय की भी कुछ अवधि निर्धारित की है, लेकिन मेरा आप से निवेदन है कि इस पार्लियामेंट के इतिहास में और विधान बनाने वाली सभाओं के इतिहास में भी आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी समय, और बढ़ा दें, तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत हो गया है। आप बोलें, मैं आप को दो की जगह तीन मिनट दे दूंगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रपति जी के भाषण के समय जो घटना हुई, जिस के सम्बन्ध में यह समिति बिठाई गई थी, उस व्यवहार के प्रति मैं उन व्यक्तियों में था जो हिन्दी

का समर्थक होते हुए भी उतने अंश का समर्थक नहीं था। परन्तु समिति का निर्णय आने के पश्चात् समिति ने जिस कठोरता से अपने निर्णय दिये हैं, मुझे संविधान को पढ़ने की आवश्यकता हुई, और संविधान के आचार पर ही मैं आप से एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूँ।

एक बात तो यह कि जब संसद् के दोनों सदन एक स्थान पर एकत्रित हों तो उस के लिये इस संविधान में कोई विशेष कार्य पद्धति नहीं है। जहाँ तक सदस्यों के सम्मान और विशेषाधिकार का सवाल है, उस के सम्बन्ध में संविधान की धारा १०५।३। में लिखा गया है। अगर कहीं इस प्रकार का कोई विधान या व्यवस्था नहीं है तो उस के लिये लिखा है :

“(३) अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी, जैसी संसद् समय समय पर विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा उस के सदस्यों और समितियों की हैं।”

जिस समय श्री त्यागी भाषण दे रहे थे, मैं सोच रहा था कि सम्भव है कि वह कोई इस प्रकार के उदाहरण हाउस आफ कामन्स के दें जब कि वहाँ पर क्वीन भाषण देने के लिये आई हों और उस समय सदस्यों ने उस का बहिष्कार किया हो तब कोई विशेष पद्धति अपनाई गई हो। जब वहाँ कोई विशेष पद्धति नहीं अपनाई गई और कोई उदाहरण इस प्रकार का नहीं है तो आज हमारे लिये

आवश्यक है कि हम नये सिरे से इस वक्त बात पर निर्णय लें कि जब दोनों सदन बैठें हों और राष्ट्रपति भाषण देने के लिये आये हों तो उस समय क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये। जहाँ तक राष्ट्रपति जी के किसी भाषा में भाषण देने का सम्बन्ध है संविधान में यह बहुत स्पष्ट है। मैं समझता हूँ कि कुछ माननीय सदस्यों ने जहाँ भाषा के बारे में संविधान में पढ़ा उसमें एक पंक्ति आगे पढ़ना वह भूल गए। माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे वह जो हिन्दी में अपना भाषण देते थे तो इसका कारण केवल मात्र उनका हिन्दी के प्रति अनुराग ही नहीं था, बल्कि वास्तविकता यह थी कि ऐसी संविधान की व्यवस्था भी थी। संविधान में यह व्यवस्था स्पष्ट है :

“संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।”

और आगे इसकी व्याख्या करते हुए खंड (२) में कहा गया है :

“खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।”

तो संविधान लागू होने से ठीक पहले कभी राष्ट्रपति भाषण देने नहीं आए थे। और उस समय तक राष्ट्रपति का भाषण किसी भी भाषा में नहीं हुआ था। जब संविधान के ठीक पहले राष्ट्रपति का भाषण ही नहीं हुआ, तो इसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति का भाषण हिन्दी में ही होना चाहिए था, किसी दूसरी भाषा में राष्ट्रपति का भाषण इस संविधान के अनुसार नहीं हो सकता था।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

अन्त में मैं एक विनम्र अनुरोध आपसे करना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री जी ने अपना मुझाव दिया है। मेरा अपना अनुमान है कि इस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय लेते समय जहाँ प्रधान मंत्री जी को असेम्बलियों या दूसरे स्थानों में होने वाले प्रदर्शनों की चिन्ता थी, वहाँ संसद् सदस्यों की और मानवीय भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए अपनी सम्मति देनी चाहिए थी। यह सम्मति वह आगे के लिए देते तो ठीक थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन उद्द की लिपि में लिख कर अपना भाषण हिन्दी में पढ़ सकते थे उसी तरह यदि राष्ट्रपति डा० राधा कृष्णन अपने भाषण की दो पंक्तियाँ हिन्दी में पढ़ देते और कह देते कि मेरा बाकी भाषण उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो आज देश में न यह चर्चा होती और न यह अशोभनीय घटना होती। देश के मानस पटल पर भी यह प्रभाव न पड़ता जो आज पड़ रहा है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि मैं समिति के निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और इसका घोर विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : डा० गोविन्द दास जी को बुलाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। शास्त्री जी ने कहा कि इंग्लैंड में ऐसी चीज नहीं हुई। मैं उनको पंजाब के स्पीकर के एक बयान का हवाला देना चाहता हूँ जोकि उन्होंने पंजाब में जब उनकी गवाही हुई उस वक्त दिया था। पंजाब के स्पीकर सरदार गुरदयाल सिंह डिल्लन ने कहा था कि उनकी हाउस आफ कामन्स के स्पीकर से बात हुई तो उसके बारे में उन्होंने कहा था :
When he was in UK, he was informed by the authorities concerned that a rowdy scene at the time of the Sovereign's Address was absolutely unthinkable. "We cannot dream of it" were the exact words repeated to

the Committee by the Speaker. "It is unthinkable because the Head of the State is above all political prejudices, unaffected by the bruises and storms of politics. Therefore, any kind of a constitutional protest, such as, walk-outs and the like in his presence has no constitutional meaning."

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न से कुछ हिन्दी भाषा का प्रश्न इतना उत्पन्न गया है कि इस प्रश्न को जिस दृष्टि से देखा जाना चाहिए उस दृष्टि में नहीं देखा जा रहा है।

आप जानते हैं कि मैं हिन्दी का एक छोटा से सेवक हूँ और हिन्दी का समर्थक हूँ। मेरा निवेदन है कि हिन्दी का समर्थन एक बात है और उस दिन राष्ट्रपति जी के भाषण के समय जो अशोभनीय घटना हुई वह बिल्कुल दूसरी बात है। वह घटना हिन्दी के प्रश्न पर न हो कर किसी प्रश्न पर होती तब भी हमारी वही स्थिति होती जो हिन्दी के प्रश्न पर होने वाली घटना पर हुई है।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि हम अपने इस प्रजातंत्र के बाल्यकाल में कुछ परम्पराएँ स्थापित करना चाहते हैं। उन परम्पराओं में हमें राष्ट्रपति के सम्मान, इस सदन के सम्मान और इसके साथ सहिष्णुता की भी परम्पराएँ स्थापित करनी हैं। मेरा निवेदन है कि हिन्दी के प्रश्न को हमें इस प्रश्न से अलग रखना चाहिए। मुझे बड़ा हर्ष होता यदि राष्ट्रपति जी का भाषण हिन्दी में होता, मैं चाहूँगा कि भविष्य में राष्ट्रपति जी का भाषण हिन्दी में हो तथा हमारे राज्यपालों के भाषण भी हिन्दी में हों और जितनी भी कार्रवाई है वह सब हिन्दी में हो। आप जानते हैं कि मैं यह भी जाहिर कर चुका हूँ कि १९६५ के बाद अंग्रेजी चलाने के सम्बन्ध में जो विधेयक आने वाला है मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। यह सब होते हुए भी मैं आपसे

यह निवेदनाकरूंगा कि जो अशोभनीय घटना उस दिन हुई और जिस पर यह कमेटी बैठी और आज हमारे सामने उस कमेटी की सर्व सम्मत रिपोर्ट आयी है, इस सम्बन्ध में जो कुछ भी प्रधान मंत्री जी ने कहा मैं उसके एक-एक अक्षर का समयन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट हमारे सामने आयी है वह समूची हिन्दी के प्रश्न को अलग रख कर, जैसी की तैसी स्वीकार की जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत बहस हो चुकी, मैं इस मोशन को हाउस के सामने रखना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य : एक मिनट . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बंद जाइए। काफी बहस हो चुकी।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्योंकि एक सवाल मूवर ने भी उठाया था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि २८वाँ पैरा-ग्राफ इसमें शामिल नहीं किया गया। तो जब मेरे पास यह मोशन आया था तो मैंने भी इसको मोचा था। एक सिफारिश तो इसमें भी है मगर वह शामिल नहीं हो सकती थी। २८वें पैराग्राफ में जो चीज है वह कमेटी को टर्मस आफ रेफरेंस में नहीं आती। मैंने कमेटी को सिर्फ उस दिन के वाकए के बारे में जांच करने को कहा था और कोई दूसरी चीज उसको नहीं दी थी। मूवर साहब ने कहा कि दूसरी चीज यह हो सकती है कि आयन्दा के लिए एडमोनीशन से लेकर एक्सपलान तक की पनिशमेंट हो सकती है और वह इस बात पर निर्भर करेगी कि उस वक्त हालत क्या होगी, क्या प्रेविटी होगी, क्या सरकारस्टेंसेज होंगे, कितनी सीरियस बात होगी। छोटी से छोटी बात को शायद भुलाया जा सके और बड़ी से बड़ी बात हो तो उसमें हम पाबन्दी नहीं कर सकते। इस वास्ते एक्सपलान तक का जब हाउस को अख्तियार है तो उसमें यह कहना कि एक साल तक हम करेंगे अगर

आयन्दा ऐसा होगा तो यह बात शोभनीय नहीं थी और न कमेटी के अख्तियार में थी। इसलिए जिस वक्त मेरे पास मोशन आया उस वक्त मैंने इसको शामिल नहीं किया। यह सवाल उठाया गया था, इसलिए मैंने यह बात हाउस के सामने रखी है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय . .

Mr. Speaker: अब मैं सतम कर चुका।

Now, the question is:

"That this House agrees with the recommendations contained in paragraphs 26 and 27 of the Report of the Committee on the conduct of certain Members during the President's Address presented to the House on the 12th March, 1963."

Shri H. N. Mukerjee: Sir, if you would permit me to point out, the Prime Minister, the Leader of the House has turned down the suggestion which I had presumed to make. Would you permit me to move an amendment now?

Mr. Speaker: The question is:

"That this House agrees with the recommendations contained in paragraphs 26 and 27 of the Report of the Committee on the conduct of certain Members during the President's Address, presented to the House on the 12th March, 1963."

Those who are in favour, please say, 'Aye'.

Several Hon. Members: Aye.

Mr. Speaker: Those who are against, please say 'No'.

Some Hon. Members: No.

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it.

Some Hon. Members: The 'Noes' have it.

Mr. Speaker: May I request the hon. Members who are in favour of 'No' to kindly stand in their seats?

There are 30 Members who are against it. Now, those who are in favour of it may kindly stand in their seats.

I find a great majority are in favour of it.

So, the motion is adopted.

Shri Kishen Pattnayak: Mr. Speaker, Sir, I walk out.

15 hrs.

(Shri Kishen Pattnayak then left the House)

Mr. Speaker: In obedience to the decision taken by the House, राम सेवक यादव, मनी राम बागड़ी और बी० एन० मण्डल। संविधान के आर्टिकल ८७ के अधीन १८ फ़रवरी, १९६३ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के सामने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान आप के आचरण को सभा ने नामुनासिब, गौरवहीन और एक संसद् सदस्य के लिए अशोभनीय तथा प्रचलित परिपाटी के विपरीत और उस महान अवसर के प्रतिकूल ठहराया है। आप के आचरण की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति को आप ने जिस प्रकार के बयान प्रस्तुत किये हैं, उन से आप के अपराध की गुहता और बढ़ गई है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान आप के इस नामुनासिब, गौरवहीन और अशोभनीय आचरण के लिए और बाद में आप के आचरण की जांच करने की लिए नियुक्त की गई समिति के सामने आप ने जो बयान दिये हैं, जिन से आप के अपराध की गुहता और बढ़ गई है, उस के लिए मैं सभा की ओर से आपका वाकफ़ाइन करता हूँ।
I might read it in English also.

Ram Sewak Yadav, Mani Ram Bagri and B. N. Mandal. The House

has adjudged your conduct during the President's Address to both Houses of Parliament assembled together under Article 87 of the Constitution on the 18th February, 1963, as undesirable, undignified and unbecoming of a Member of Parliament and contrary to the usage and derogatory to the dignity of the occasion. This offence of yours was further aggravated by the nature of the statements you chose to submit to the Committee appointed to investigate your conduct.

In the name of the House, I reprimand you for this undesirable, undignified and unbecoming conduct during the President's Address and for subsequently aggravating your offence by your evidence before the Committee appointed to investigate your conduct.

15.04 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS—contd.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS—contd.

Mr. Speaker: We now take up the other business: the Budget (General). Dr. Sarojini Mahishi was in possession of the House.

Shri Hem Barua (Gauhati): When will the Prime Minister reply?

Mr. Speaker: At 4 O'clock, the Prime Minister would reply.

Some Hon. Members rose—

Mr. Speaker: Only two hours are left out of 8 hours.

Shri Ranga (Chittoor): The time that the Prime Minister will take will be outside the time allotted.

Mr. Speaker: That was only for the Budget allotment: not during this. There is some misunderstanding about it.